The Uttar Pradesh
Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964

विषय-सूची

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964

अध्याय 1

प्रारम्भिक

धारा | पेज

1. संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रसार 1
2. परिभाषाएँ 1

(2-क). कृषक/उत्पादक को विपणन स्वतंत्रता 5

3. [*लोप किया गया*] 5
4. अन्य विधि के विरुद्ध होगा 5

4-क. अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार 6

अध्याय 2

मण्डी-क्षेत्र तथा मण्डी-स्थल

5. किसी क्षेत्र में कृषि-उत्पादन के क्रय-विक्रय को विनियमित और नियन्त्रित करने के अभिप्राय की घोषणा 6
6. मण्डी-क्षेत्र की घोषणा 6
7. प्रधान मण्डी स्थल उप-मण्डी, स्थलों की घोषणा 6

7-क. भाण्डागार/साइलो/शीतगृह या ऐसी अन्य संरचना या स्थानों को मण्डी उप-स्थल के रूप में घोषित किया जाना 7

7-ख. सीधा विपणन (कृषकों से मण्डी स्थल, उपमण्डी स्थल, निजी मण्डी स्थल से बाहर एकमुश्त सीधा थोक क्रय) 7

7-ग. विशिष्ट जिन्स मण्डी स्थल की स्थापना और अधिसूचना 7

7-घ. निजी मण्डी स्थल की स्थापना 8

8. मण्डी क्षेत्र के परिवर्तन और कृषि-उत्पादन की सूची का परिष्कार 8
9. मण्डी-क्षेत्र की घोषणा का प्रभाव 9

9-क. 10

10. नियमों या उप-विधियों द्वारा नियत व्यापारिक परिव्यय से भिन्न परिव्यय नहीं लिये जा सकेंगे 10
11. मण्डी-स्थलों से सम्बद्ध कतिपय उपबन्धों को मण्डी-क्षेत्र के शेष भाग में लागू करना 10

अध्याय 3

मण्डी समिति

12. समिति की स्थापना और उसका निगमन 10
13. समिति का संगठन 11

13-क. कतिपय परिस्थितियों में सदस्यों का त्याग-पत्र और नाम निर्देशन 11

13-ख. समितियों के सदस्यों, उपसभापति और सभापति का हटाया जाना 11

13-ग. समिति का निलम्बन 12

13-घ. निलम्बन के परिणाम 12

धारा | पेज

13-ङ. समिति का विघटन 12
13-च. विघटन के परिणाम 13
14. [*लोप किया गया*] 13
15. आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति 13
16. समिति के कृत्य और कर्तव्य 13
17. समिति के अधिकार 15
17-क. 17
18. समिति की ओर से संविदायें 18
19. मण्डी समिति निधि और उसका उपयोग 18
19-क. समिति के दायित्वों की पूर्वता 19
19-ख. मण्डी विकास निधि 19
20. समिति को देय धनराशियों की मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूली तथा वसूल न होने योग्य देयों को बट्टे खाते डालने का अधिकार 20
21. अधिभार 20

अध्याय 4

समिति के अधिकारी तथा सेवक

22. सभापति तथा उप-सभापति के अधिकार और कृत्य 21
23. समिति के अधिकारियों ओर सेवकों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा की शर्तें 21
23-क. केन्द्रीय सेवा का संगठन तथा कर्मचारियों की स्थानान्तरण 21
24. सचिव के कृत्य, अधिकार और कर्तव्य 23
25. अपील 23
25-क. समितियों के अधिकारियों तथा सेवकों के सेवायोजन की शर्तें तथा निर्बन्धन 23
26. इस अधिनियम के अधीन काम करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण 24

अध्याय 5

बाह्य नियन्त्रण

26-क. परिषद् की स्थापना 24
26-ख. परिषद् का संगठन 24
26-ग. उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य होने के लिए अनर्हता 25
26-घ. उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल 26
26-ङ. उपाध्यक्ष तथा पदेन सदस्य से भिन्न अन्य सदस्य के पद के सम्बन्ध में अन्य उपबन्ध 26
26-च. अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति 26
26-छ. निदेशक द्वारा पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण 26
26-ज. परिषद् के आदेशों तथा अन्य संलेखों का प्रमाणीकरण 26
26-झ. शक्तियों का प्रतिनिधान 27
26-ञ. हित होने के कारण कार्यवाहियों में भाग लेने से अनर्हता 27
26-ट. अनौपचारिकता रिक्त आदि के कारण किये गये कार्य अवधिमान्य नहीं होंगे 27
26-ठ. परिषद् की शक्तियाँ तथा कृत्य 27
26-ड. नीति विषयक प्रश्नों पर निदेश 28

धारा		पेज
26-ढ.	वार्षिक प्रतिवेदन, आंकड़े विवरणियां तथा अन्य सूचना	28
26-ण.	संविदा आदि का निष्पादन तथा रजिस्ट्रीकरण	29
26-त.	परिषद् की निधि	29
26-तत.	उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि	29
26-ततत.	केन्द्र मण्डी कोष	30
26-थ.	ऐसे व्यय पर निर्बन्धन जिसकी व्यवस्था पहले से बजट में न हो	30
26-द.	परिषद् को वित्तीय सहायता	30
26-ध.	परिषद् को ऋण	31
26-न.	परिषद् को उधार लेने की शक्ति	31
26-प.	परिषद् के दायित्वों की प्राथमिकता	31
26-फ.	लेखे और लेखा परीक्षा	31
26-ब.	अधिभार	32
26-भ.	विनियम	32
27.	निदेशक के कर्तव्य और अधिकार	33
28 से 30.	[*लोप किया गया*]	33
31.	समिति द्वारा पारित संकल्प या दी गई आज्ञा के निष्पादन या आगे निष्पादन का निषेध करने का राज्य सरकार का अधिकार	33
32.	समिति की कार्यवाहियाँ मंगाने और उन पर आज्ञा देने का परिषद् के अधिकार	33
33.	परिषद् शक्तियों का प्रत्यायोजन	33
33-क.	मण्डी समितियों के कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशक को शक्तियाँ	34
33-ख.	राज्य सरकार की शक्तियाँ	34
33-ग.	निजी मण्डी स्थल के लिए लाइसेंस प्रदान/नवीकरण किया जाना	34
33-घ.	धारा 33-ग के अधीन स्वीकृत/नवीकृत लाइसेन्स का निलम्बन या रद्दीकरण	35
33-ङ.	सीधे विपणन के लिए लाइसेन्स प्रदान किया जाना/उसका नवीकरण किया जाना	35
33-च.	सीधे विपणन लाइसेंस का निलम्बन या रद्दकरण किया जाना	36

अध्याय 6
विविध

34.	समिति के विरुद्ध वाद	36
35.	मालगुजारी के रूप में देयों की वसूली	36
36.	प्रवेश करने, तलाशी लेने और अभिग्रहण करने का अधिकार	36
37.	शास्ति	37
37-क.	अपराध का शमन	38
38.	अपराधों पर विचार	38
39.	उपविधियाँ	38
39-क.	क्रय और विक्रय का विवरण प्रस्तुत करना	39
40.	नियम	39
	अनुसूची	41

उत्तर प्रदेश
कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1964]

उत्तर प्रदेश में कृषि-उत्पादन के क्रय-विक्रय के विनियमन और उनके लिये मण्डियों की स्थापना तथा उनके अधीक्षण और नियंत्रण की व्यवस्था करने का

अधिनियम

[1][यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित है।]

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रसार—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

2. परिभाषाएँ—विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न होने पर, इस अधिनियम में—

[2][(क) "कृषि उत्पादन" का तात्पर्य कृषि, उद्यान-कर्म, द्राक्षा-कृषि, मधु-मक्खी-पालन, कोश-कोट पालन, मत्स्य संवर्धन, पशु-पालन या वन उत्पादन, की ऐसी मदों से जो अनुसूची में निर्दिष्ट हों, और इसके अन्तर्गत दो या अधिक ऐसी मदों का सम्मिश्रण भी है, और इसमें संसाधित रूप में ऐसी कोई मद भी सम्मिलित है, और इसके अन्तर्गत गुड, राब, शक्कर, खान्डसारी तथा जगरी भी है;]

[3][(क)-1] "परिषद्" का तात्पर्य धारा 26-क के अधीन संघटित राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद से है;]

(ख) "दलाल" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कारोबार के सामान्य क्रम में कमीशन या पारिश्रमिक पर, चाहे वह नकदी में हो या जीन्स में, अपने प्रतिनियोक्ता (Principal) की ओर से कृषि-उत्पादन के क्रय या विक्रय की संविदाओं की बात या व्यवस्था करता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे प्रतिनियोक्ता का सेवक नहीं है, भले ही वह ऐसी संविदाओं की बात अथवा व्यवस्था करता हो;

(ग) "उप-विधि" का तात्पर्य धारा 39 के उपबन्धों के अनुसार बनायी गयी उप-विधियों से है;

(घ) "केन्द्रीय गोदाम निगम" का तात्पर्य वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन ऐक्ट, 1962 (ऐक्ट, संख्या 58, 1962) के अधीन स्थापित या स्थापित किया गया समझे गये सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन से है;

[4][(घ-1) किसी मण्डी क्षेत्र की समिति के सम्बन्ध में, "कलेक्टर" का तात्पर्य उस जिले के कलेक्टर से है जहाँ उस मण्डी क्षेत्र का प्रधान मण्डी स्थल है, और इसके अन्तर्गत ऐसा अन्य अधिकारी भी है जो उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाये;]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 30 सन् 1974 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 10, 1970 द्वारा प्रतिस्थापित एवं सदैव से प्रतिस्थापित समझे जायेंगे।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 30 सन् 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति के अधिनियम सं०13, 1973 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 30 सन् 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति के अधिनियम सं०13, द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

[1][(घ-2) मण्डी-स्थल के सम्बन्ध में "शीतगृह" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा-7-क के अधीन मण्डी उप स्थल के रूप में घोषित शीतगृह से है।]"

(ङ) "आढ़तिया" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कारोबार के सामान्य क्रम में कृषि उत्पादन के स्वामी अथवा विक्रेता या क्रेता की ओर से आढ़त या कमीशन पर, कृषि-उत्पादन का क्रय या विक्रय करता हो या करने का प्रस्ताव करता हो;

(च) "समिति" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन संघटित समिति से है;

(छ) "सहकारी क्रय-विक्रय समिति" का तात्पर्य उत्पादकों की ऐसी सहकारी समिति से है जो [2][उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 11, 1966) के अधीन निबन्धित हो या निबन्धित समझी जाय] और जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि-उत्पादन के विक्रय या क्रय को बढ़ाना हो;

[3][(ज) "निदेशक" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा मण्डी निदेशक के रूप में नियुक्त अधिकारी से है, और इसके अन्तर्गत निर्वाचन निदेशक द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसके समस्त या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है।]

[4][(ज-1) "निदेशक, कृषि विपणन" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा निदेशक कृषि विपणन के रूप में नियुक्त अधिकारी से है, जो इस अधिनियम के अधीन निदेशक, कृषि विपणन की शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन करेगा;

(ज-1क) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के सम्बन्ध में "सीधा विपणन" का तात्पर्य प्रधान मण्डी स्थल, उप मण्डी स्थल, निजी मण्डी स्थल एवं मण्डी उपस्थल के बाहर प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों, क्रेताओं आदि के द्वारा कृषकों से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के सीधा थोक क्रय से है;

(ज-1ख) "कृषक उत्पादक संगठन' (एफ.पी.ओ.) का तात्पर्य ऐसे कृषक-संगम से है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी भी नाम/प्रारूप में अभिहित किया जाता हो/विद्यमान हो एवं रजिस्ट्रीकृत हो। जो कृषकों को गतिशील करने और उनके उत्पादन तथा विपणन शक्ति की सामूहिक उत्तोलन क्षमता का सृजन करता है।]

[5][(ज-2) "निर्यात" का तात्पर्य किसी लाइसेंसधारी द्वारा विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन का भारत से बाहर निर्यात करने से हैं;"]

[6][(ज-3) "ई-व्यापार" का तात्पर्य उस व्यापार से है जिसमें बिल बनाना, बुकिंग करना, करार करना, वार्ता करना, सूचना का आदान-प्रदान करना, अभिलेख रखना और अन्य जुड़ी गतिविधियाँ, कम्प्यूटर नेटवर्क/इण्टरनेट पर इलेक्ट्रानिकली की जाती है;]

(झ) "लाइसेंसधारी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जिसे इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स दिया जाये;

(ञ) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में प्रचलित किसी अधिनियमित के अधीन संघटित या स्थापित [7][नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, जिला पंचायत या ग्राम पंचायत] से है;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 24 सन् 2018 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 6 सन् 1977 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. राष्ट्रपति के अधिनियम सं० 13, 1972 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 24 सन् 2018 द्वारा बढ़ाया गया।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 17 सन् 2005 से अंतःस्थापित।
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, सन् 2016 द्वारा बढ़ाया गया।
7. उ० प्र० अधिनियम सं० 18, सन् 2001 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ट) "मण्डी क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो धारा 6 के अधीन इस रूप में विज्ञापित किया गया हो या जो धारा 8 के अधीन यथापरिवर्तित हो;

[1][(ट-1) "मुख्य मण्डी समिति" का तात्पर्य उस मण्डी समिति से है, जो एकीकृत लाइसेन्स निर्गत करने के लिए प्राधिकृत हो;]

[2][(ट-2) मण्डी उपस्थल का तात्पर्य भाण्डारगार/साइलो/शीतगृह या ऐसी अन्य संरचना या स्थान से है जो इस अधिनियम की धारा 7-क के अधीन मण्डी उपस्थल के रूप में घोषित किया गया हो।]

(ठ) "सदस्य" का तात्पर्य समिति के सदस्य से है;

[3][(ठ-1) "नागरिक के अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है;]

(ड) "पल्लेदार" का तात्पर्य ऐसे श्रमिक से है जो किसी कृषि-उत्पादन का दड़ा बनाने, कृषि-उत्पादन को लादने, उतारने, भरने या खाली करने अथवा ढोने के कार्य में लगाया गया हो;

[4][(ड-1) "व्यक्ति' के अन्तर्गत व्यक्ति कोई सहकारी समिति, हिन्दू अविभाजित परिवार, निगमित अथवा अनिगमित कोई कम्पनी या फर्म या व्यक्ति-संगम या निकाय सम्मिलित हैं।]

(ढ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(ण) "प्रधान मण्डी-स्थल" का तात्पर्य मण्डी क्षेत्र के किसी ऐसे भाग से है जो धारा 7 के अधीन इस रूप में घोषित हो;

[5][(ण-1) "प्रसंस्करण" का तात्पर्य चूर्णन, पेराई, छिलका निकालने, भूसी निकालने, अर्धक्वथन करने, पालिश करने, ओटाई संपीड़न, संरक्षण से सम्बन्धित किसी एक या अधिक शोधनों की श्रृंखला या किसी अन्य हस्तचालित, यांत्रिक रासायनिक या भौतिक शोधन से है जिससे कच्चे कृषि उत्पाद या उसके उत्पादन का शोधन किया जाता है परन्तु उसका तात्पर्य मात्र सफाई करना धुलाई करना, श्रेणीकरण करना, एवं पैकिंग करना और तत्समान अन्य क्रियाकलाप से नहीं है।"]

[6][(ण-2) "निजी मण्डी स्थल" का तात्पर्य मण्डी क्षेत्र में प्रधान मण्डी स्थल, उपमण्डी स्थल और मण्डी उप-स्थल से भिन्न ऐसे स्थान से है, जहाँ इस अधिनियम के अधीन उक्त प्रयोजन के लिए कृषि उत्पाद के विपणन और लाइसेंस धारण करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अवसंरचना विकसित की गयी हो और उसका प्रबन्ध किया गया हो;

(ण-3) कृषि उत्पाद के सम्बन्ध में 'प्रसंस्करणकर्ता' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो स्वयं की ओर से या प्रभार के संदाय पर किसी अधिसूचित कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण का दायित्व संग्रहण करता हो।"]

(त) "उत्पादक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कृषि-उत्पादन को या तो स्वयं या पारिश्रमिक पर रखे गये श्रमिकों के माध्यम से उत्पादित करे, पाले-पोसे या पकड़े, किन्तु ऐसे उत्पादक से नहीं जो व्यापारी, दलाल या आढ़तिया के रूप में भी कार्य करता हो या जो साधारणतया कृषि-उत्पादन का अन्य प्रकार से संग्रह करने का कारोबार करता है;

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 3, सन् 2016 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 24 सन् 2018 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 18, सन् 2001 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 24 सन् 2005 द्वारा बढ़ाया गया।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, सन् 2005 द्वारा बढ़ाया गया। (8.6.2005 से प्रभावी)
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 24 सन् 2018 द्वारा बढ़ाया गया।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि यह प्रश्न उठे कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति उत्पादक है अथवा नहीं, तो निदेशक का निर्णय, ऐसी रीतिं से जाँच करने के पश्चात् जो नियत की जाये, अन्तिम होगा;

(थ) "क्रय" के अन्तर्गत वस्तु-विनिमय या गिरवी के रूप में अथवा पेशगी दी गई धनराशि की प्रतिभूति के रूप में माल की प्राप्ति भी है;

[1][(थ-1) "विनिमय" का तात्पर्य धारा 26-भ के उपबन्धों के अनुसार परिषद् द्वारा बनाये गये विनियमों से है;]

[2][(थ-2) किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में "फुटकर विक्रय" का तात्पर्य उस उत्पादन के ऐसे परिणाम के विक्रय से है जो मण्डी समिति द्वारा अपनी उपविधियों में विनिर्दिष्ट फुटकर विक्रय की सीमा से अधिक हो।]

(द) "विक्रय" के अन्तर्गत वस्तु-विनिमय या गिरवी के रूप में अथवा अग्रिम धनराशि की प्रतिभूति के रूप में माल का निक्षेप भी है;

(ध) "सचिव" का तात्पर्य धारा 23 के अधीन इस रूप में नियुक्त व्यक्ति से है;

[3][(ध-1) "साइलो" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 7-क के अधीन मण्डी उपस्थल के रूप में घोषित साइलों से है;

(ध-2) 'विशिष्ट जिन्स मण्डी स्थल का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 7-ग के अधीन यथाधीसूचित किसी मण्डी स्थल से है।]

(न) "निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन या धारा 8 के अधीन यथा-परिष्कृत विज्ञप्ति में निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन से है;

[4][(न-1) "राज्य" का तात्पर्य भारत का संविधान की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट किसी राज्य से है।]

(प) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(फ) "राज्य गोदाम निगम" का तात्पर्य वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन ऐक्ट, 1962 ऐक्ट संख्या 58, 1962 के अधीन स्थापित या स्थापित किया गया समझे गये उत्तर प्रदेश के स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन से है;

(ब) "उप-मण्डी-स्थल" का तात्पर्य मण्डी क्षेत्र के किसी ऐसे भाग से है जो धारा 7 के अधीन इस रूप में घोषित हो;

[5][(भ) "व्यापारिक परिव्यय" का तात्पर्य किसी नाम से कहे जाने वाले किसी ऐसे परिव्यय से है जो, व्यापार या अन्यथा किसी रूढ़ि या प्रथा के अधीन या उससे अभिप्रेत किसी कृषि उत्पादन के क्रय या विक्रय के किसी सौदे के सम्बन्ध में किसी व्यापारी से वसूल किया जाता हो या वसूल किया जा सकता हो अथवा उसको देय हो।

स्पष्टीकरण—नमूने से क्रय किये जाने की दशा में नमूने के अन्तर होने या किसी ज्ञात मानक से क्रय किये जाने की दशा में मानक से अन्तर होने के कारण अथवा वास्तविक और मानक बाट या तौल में भिन्नता के कारण की गई कटौती से भिन्न प्रत्येक कटौती व्यापारिक परिव्यय समझी जायेगी।]

---

1. राष्ट्रपति के अधिनियम सं० 13, 1973 द्वारा अंतःस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 19, सन् 1979 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 24 सन् 2018 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 24 सन् 2018 द्वारा बढ़ाया गया।
5. खण्ड (म-1) उ० प्र० अधिनियम सं० 7 सन् 1978 द्वारा प्रतिस्थापित।

(म) "व्यापारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कारोबार के सामान्य क्रम में स्वयं अपनी ओर से अथवा एक या अधिक प्रतिनियोक्ताओं के यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता के रूप में, कृषि उत्पादन का क्रय या विक्रय करता हो, तथा उसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जो कृषि-उत्पादन के प्रक्रिया कार्य में लगा हो;

[1][(म-1) 'एकीकृत लाइसेन्स' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 9-क के अधीन स्वीकृत लाइसेन्स से है।"]

[2][(कक) "गाँव" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1951) में है।]

[3][(कक-1) मण्डी स्थल के सम्बन्ध में 'भण्डागार' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 7-क के अधीन मण्डी उप-स्थल के रूप में घोषित भाण्डारगार से है।"]

(खख) "तोलक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कारोबार के सामान्य क्रम में कृषि-उत्पादन के क्रय या विक्रय के सौदे के सम्बन्ध में तौलने का काम करता हो;

(गग) "तौलने या मापने का यन्त्र" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, 1959 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1959 में यथापरिभाषित तौलने का यन्त्र या मापक यन्त्र से है;

(घघ) "बाट का माप" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित व्यापारिक बाट या माप अथवा मानक बाट या माप से है।

[4][(ङङ) किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में "थोक सौदा" का तात्पर्य उस उत्पादन के ऐसे परिणाम के क्रय और विक्रय से है जो मण्डी समिति द्वारा अपनी उपविधियां में विनिर्दिष्ट फुटकर विक्रय की सीमा से अधिक हो"]

[5][(2-क) **कृषक/उत्पादक को विपणन स्वतंत्रता**—कृषक/उत्पादक अपना उत्पाद अपनी इच्छानुसार इस राज्य में या उसके बाहर कहीं भी बेच सकता है।

प्रतिबंध यह है कि थोक संव्यवहार के लिए कृषक विक्रेता से कोई मण्डी शुल्क संग्रहीत नहीं किया जायेगा।

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन के फुटकर विक्रय पर कोई मण्डी शुल्क उद्ग्रहीता या संग्रहीत नहीं किया जायेगा, जहाँ ऐसा विक्रय उपभोक्ता को कृषक या उत्पादक द्वारा सीधे उसके घरेलू उपभोग के लिए किया जाय।]

3. [6][* * *]

4. अन्य विधि के विरुद्ध होगा—(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे, भले ही किसी अन्य विधि, रूढ़ि प्रथा या अनुबन्ध में कोई असंगत बात दी हो।

(2) एसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट, 1955 ऐक्ट संख्या 10, 1955 की धारा 3 के उपबन्ध और तद्धीन दी गई आज्ञाएं प्रभावी होंगी, भले ही इस अधिनियम में या तद्धीन बनाये गये किसी नियम, उपविधि या दी गई आज्ञा में कोई असंगत बात दी हो।

---

1. खण्ड (म-1) उ० प्र० अधिनियम सं० 3, सन् 2016 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 6, 1977 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 24 सन् 2018 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 19, 1979 द्वारा बढ़ाया गया।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 24 सन् 2018 द्वारा बढ़ाया गया।
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति के अधिनियम संख्या 13, 1973 द्वारा लोप की गई।

[1][4-क. **अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार**—राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा अनुसूची में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की किसी मद को बढ़ा सकता है, उसमें संशोधन कर सकती है या उसे निकाल सकती है, और तदुपरान्त अनुसूची तदनुरूप संशोधित हो जायेगी।]

अध्याय 2

मण्डी-क्षेत्र तथा मण्डी-स्थल

5. किसी क्षेत्र में कृषि-उत्पादन के क्रय-विक्रय को विनियमित और नियन्त्रित करने के अभिप्राय की घोषणा—(1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि लोक-हित में यह आवश्यक या इष्टकर है कि किसी ऐसे क्षेत्र में किसी कृषि उत्पादन के क्रय-विक्रय को विनियमित किया जाये, [2][* * *] और इस प्रयोजन के लिये उस क्षेत्र को मण्डी-क्षेत्र घोषित किया जाये, तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा और ऐसी अन्य रीति से जो नियत की जाये ऐसा करने के अपने अभिप्राय की घोषणा कर सकती है और प्रस्तावित घोषणा के विरुद्ध आपत्तियाँ आमन्त्रित कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी आपत्ति, ऐसी अवधि के भीतर भेजी जा सकती है, जो नियत की जाये। वह निदेशक को सम्बोधित की जायेगी, जो उसे उस पर अपनी समीक्षा के साथ, राज्य सरकार को भेजेगा।

6. मण्डी-क्षेत्र की घोषणा—धारा 5 में अभिर्दिष्ट अवधि के व्यतीत हो जाने पर, राज्य सरकार उक्त अवधि के भीतर प्राप्त हुई आपत्तियों पर विचार करेगी और तदुपरान्त, गजट में विज्ञप्ति में द्वारा और ऐसी अन्य रीति से, जो नियत की जाये, वह घोषणा कर सकते हैं कि धारा 5 के अधीन विज्ञप्ति में उल्लिखित सम्पूर्ण क्षेत्र या उसका कोई निर्दिष्ट भाग ऐसे कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में और ऐसे दिनांक से, जो घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाये, मण्डी क्षेत्र होगा।

7. प्रधान मण्डी स्थल उप-मण्डी, स्थलों की घोषणा—[3][(1) धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा मण्डी क्षेत्र के ऐसे भाग को जो निर्दिष्ट किया जाये प्रधान मण्डी-स्थल और ऐसे अन्य भागों को जो निर्दिष्ट किये जाये, उप-मण्डी स्थल घोषित कर सकते हैं :]

[4][प्रतिबन्ध यह है कि सम्पूर्ण प्रधान मण्डी-स्थल केवल एक ही जिले की सीमाओं के भीतर स्थित होगा।]

[5][(2) राज्य सरकार, जहाँ लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे अधिसूचना द्वारा—

(क) प्रधान मण्डी स्थल या उप-मण्डी स्थल के क्षेत्र में किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकती है या उससे कोई क्षेत्र निकाल सकती है या वर्तमान प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल को समाप्त कर सकती है और नये प्रधान मंडी स्थल या उप-मण्डी स्थल घोषित कर सकती है।]

[6][(ख) घोषित कर सकती है कि किसी मण्डी क्षेत्र के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद में से सभी या किसी का थोक संव्यवहार उसके प्रधान मण्डी स्थल या उप-मण्डी स्थलों के भीतर केवल किसी विनिर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मण्डी क्षेत्र में स्थित निजी मण्डी स्थलों तथा प्रधान मण्डी स्थल उप-मण्डी स्थलों, निजी मण्डी स्थलों या मण्डी उप-स्थलों के बाहर के संग्रह/एकीकरण केन्द्रों के मामले में इस खण्ड के उपबंध का कोई प्रभाव नहीं होगा"]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 10, सन् 1970 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 6, सन् 1977 द्वारा निकाला गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 10, सन् 1970 द्वारा प्रतिस्थापित एवं उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 6 सन् 1972 द्वारा पुनः संख्यांकित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 6 सन् 1977 द्वारा द्वारा अन्तःस्थापित।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 19 सन् 1979 द्वारा प्रतिस्थापित (17.04.1979 से प्रभावी)
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 24 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][**7-क. भाण्डागार/साइलो/शीतगृह या ऐसी अन्य संरचना या स्थानों को मण्डी उप-स्थल के रूप में घोषित किया जाना**—(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे भाण्डागार/ साइलों/ शीतगृह या यथाविहित अवसंरचना एवं सुविधाओं सहित संरचना या स्थान को मण्डी उप-स्थल के रूप में कार्य करने हेतु घोषित कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी फुटकर व्यापारिक स्थानों को मण्डी उप-स्थल घोषित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में उल्लिखित पद 'स्थान' के अन्तर्गत भाण्डागार/ साइलो/ शीतगृह/ पैकहाउस/ सफाईकरण, श्रेणीकरण, और प्रसंस्करण इकाई आदि सहित कोई संरचना, घेरा, खुला स्थान, मोहल्ला, पथ सम्मिलित है।

(2) यथास्थिति ऐसे किसी भाण्डागार/ साइलों/ शीतगृह या ऐसी अन्य संरचना या 'स्थान' का स्वामी, जो ऐसे स्थानों की उपधारा (1) के अधीन मण्डी उप-स्थल के रूप में घोषित किये जाने का इच्छुक हो, निदेशक, कृषि विपणन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसे प्रपत्र में, ऐसी रीति से और ऐसी अवधि किन्तु जो तीन वर्ष से कम न हो, के लिए ऐसे शुल्क के साथ, जैसा कि विहित किया जाय, के रूप में आवेदन करेगा।

(3) ऐसे भाण्डागार/साइलो /शीतगृह या ऐसी अन्य संरचना या स्थान के स्वामी को उस मण्डी क्षेत्र की सम्बन्धित मण्डी समिति से लाइसेंस लेना होगा और घोषित मण्डी उपस्थल पर संव्यवहृत किये गये अधिसूचित कृषि उत्पाद पर मूल्यानुसार दर से लागू मण्डी शुल्क का भुगतान करना होगा और मण्डी समिति को ऐसे मण्डी शुल्क का अभिदान करना होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि कृषक-विक्रेता से कोई मण्डी शुल्क संग्रहीत नहीं किया जायेगा।

7-ख. सीधा विपणन (कृषकों से मण्डी स्थल, उपमण्डी स्थल, निजी मण्डी स्थल से बाहर एकमुश्त सीधा थोक क्रय)—(1) ऐसी युक्तियुक्त शर्तों और ऐसे शुल्क जैसा कि विहित किये जाने के अध्यधीन निदेशक, कृषि विपणन, अधिसूचित कृषि उत्पाद के विपणन के लिए इस अधिनियम एवं तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अनुसार यथाविहित अवसंरचना सहित उत्पादन क्षेत्र के निकट सग्रह/एकत्रीकरण केन्द्र स्थापित करने हेतु किसी व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई स्थायी संग्रह/एकत्रीकरण केन्द्र स्थापित किये बिना, थोक क्रय स्थल घोषित करते हुए, प्रधान मण्डी स्थल, उपमण्डी स्थलों, मण्डी उपस्थलों, निजी मण्डी स्थलों के बाहर यथाविहित रूप से सीधा थोक क्रय किया जा सकता है।

(2) सीधा विपणन लाइसेंसधारी को दैनिक व्यापारिक संव्यवहारों से सम्बन्धित अभिलेख और समस्त लेखाओं को अनुरक्षित करना होगा और लाइसेंस प्राधिकारी को यथाविहित रूप में मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

(3) लाइसेंस प्राधिकारी सीधा विपणन लाइसेंसधारी से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सूचना माँग सकता है और ऐसे थोक क्रयों एवं उससे आनुषंगिक क्रिया-कलापों की कार्यप्रणाली की सम्बन्ध में निरीक्षण कर सकता है और निदेश जारी कर सकता है।

(4) सीधा विपणन लाइसेंसधारी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विक्रय के संव्यवहार पर परिषद् द्वारा अनुरक्षित 'उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि' को मण्डी शुल्क का भुगतान करेगा।

7-ग विशिष्ट जिन्स मण्डी स्थल की स्थापना और अधिसूचना—(1) जहाँ राज्य सरकार, लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे वहाँ वह किसी मण्डी क्षेत्र के सम्बन्ध में सभी या किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के निमित्त अधिसूचना द्वारा धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन स्थापित विद्यमान मण्डी स्थल को 'विशिष्ट जिन्स मण्डी स्थल' अधिसूचित कर सकती है। या किसी नये मण्डी स्थल को विशिष्ट जिन्स मण्डीस्थल अधिसूचित कर सकती है।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 24 सन् 2018 द्वारा बढ़ाया गया।

(2) इस अधिनियम में मण्डी समिति के लिए और तत्सम्बन्ध में किये गये उपबन्ध, विशिष्ट जिन्स मण्डी स्थल के लिए स्थापित मण्डी समिति पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

7-घ. निजी मण्डी स्थल की स्थापना—(1) ऐसी युक्तियुक्त शर्तों और ऐसे शुल्क, जैसा कि विहित किये जायें, के अध्यधीन निदेशक, कृषि विपणन यथाविहित रूप से कृषि उत्पाद के व्यापार के लिए निजी मण्डी स्थल स्थापित करने हेतु किसी व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान कर सकता है।

(2) निजी मण्डी स्थल लाइसेंसधारी, या उसकी प्रबन्ध समिति, निजी मण्डी स्थल में संव्यवहत अधिसूचित कृषि उत्पादों पर मूल्यानुसार दर से जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, उपभोक्ता प्रभार संग्रहीत कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई उपभोक्ता प्रभार, कृषक-विक्रेता से संग्रहीत नहीं किया जायेगा।

(3) निजी मण्डी स्थल लाइसेन्सधारी शुल्क और एक चौथाई संग्रह उपयोक्ता प्रभार का अभिदान, निदेशक, कृषि विपणन द्वारा अनुरक्षित और प्रचालित किसी पृथक निधि में करेगा। निदेशक, कृषि विपणन निधि का उपयोग, कौशल विकास, प्रशिक्षण, अनुसन्धान और ऐसे क्रिया-कलापों जो राज्य में दक्ष विपणन प्रणाली सृजित करने में सहायक होगे में करेगा।]

8. मण्डी क्षेत्र के परिवर्तन और कृषि-उत्पादन की सूची का परिष्कार—(1) राज्य सरकार यदि वह लोक-हित में ऐसा करना इष्टकर या आवश्यक समझे, तो गजट में विज्ञप्ति द्वारा और ऐसी अन्य रीति से जो नियत की जाये, तथा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से—

(क) धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन की सूची में कोई कृषि-उत्पादन सम्मिलित कर सकती है, अथवा उसमें से कोई कृषि-उत्पादन निकाल सकती है;

[1][(ख) धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार परिष्कृत या नवनिर्मित मण्डी क्षेत्र के लिए एक नई मण्डी समिति संगठित की जायेगी।]

(ग) धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी मण्डी-क्षेत्र को एक से अधिक पृथक-क्षेत्रों में विभाजित कर सकती है;

(घ) धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दो या अधिक मण्डी-क्षेत्रों को एक मण्डी-क्षेत्र में सम्मिलित कर सकती है;

(ङ) यह घोषणा कर सकती है कि धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट मण्डी-क्षेत्र ऐसा क्षेत्र न होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कार्यवाही किये जाने के पूर्व राज्य सरकार नियत रीति से, प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध आपत्तियाँ, यदि कोई हो, आमन्त्रित करेगी और उन पर विचार करेगी।

(2) जब मण्डी समिति के कार्यकाल में मण्डी-क्षेत्रों की सीमाओं में, जिसके लिए यह स्थापित की गयी हो, उपधारा (1) के खण्ड (ख), खण्ड (ग) अथवा खण्ड (घ) के अधीन परिवर्तन किया जाये तो, विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से निम्नलिखित परिणाम होंगे—

(क) मण्डी समिति विघटित हो जायेगी और उसके सदस्य अपना पद रिक्त कर देंगे;

(ख) धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार परिष्कृत या नव-निर्मित मण्डी-क्षेत्र के लिए एक नई मण्डी समिति संघटित की जायेगी।

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 13, सन् 2004 द्वारा प्रतिस्थापित (24.05.2003 से प्रभावी)

[1][(ग) किसी विघटित मण्डी समिति के मण्डी-क्षेत्र के किसी भाग के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली सिविल या दाण्डिक कार्यवाहियों, संविदाओं, अनुबन्धों अथवा किसी अन्य विषय या बात से सम्बन्धित विघटित मण्डी समिति को समस्त सम्पत्ति तथा आस्तियाँ तथा समस्त अधिकार, दायित्व और माध्यतायें उस भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली नई मण्डी समिति में निहित और उसमें अन्तरित हो जायेंगी।]

(3) यदि उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन कोई मण्डी-क्षेत्र ऐसा क्षेत्र न रह जाये जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से निम्नलिखित परिणाम होंगे—

(क) मण्डी समिति विघटित हो जायेगी और उसके सदस्य अपना पद रिक्त कर देंगे,

(ख) उसमें स्थापित प्रधान मण्डी-स्थल और उप-मण्डी यदि कोई हो, ऐसी मण्डी-स्थल न रह जायेंगे;

(ग) मण्डी समिति निधि की व्यय न की गयी शेष धनराशि और मण्डी समिति को अन्य आस्तियाँ तथा दायित्व राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे;

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार का दायित्व इस प्रकार निहित सम्पत्ति के मूल्य से अधिक न होगा।

9. मण्डी-क्षेत्र की घोषणा का प्रभाव—(1) किसी क्षेत्र के मण्डी-क्षेत्र घोषित किये जाने के दिनांक से, कोई स्थानीय निकाय या अन्य व्यक्ति संबद्ध समिति द्वारा दिये गये लाइसेन्स के बिना उसकी शर्तों के अनुसरण से अन्यथा, मण्डी-क्षेत्र के भीतर निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन के विक्रय, क्रय या संग्रह करने (Storage) या तौलने या उस पर प्रक्रिया करने (Processing) के लिये किसी स्थान की न स्थापना करेगा, न उसे बनाये रखेगा और न उसकी स्थापना करने या उसे बनाये रखने की अनुमति देगा, भले ही किसी अन्य विधि, रूढ़ि, प्रथा या अनुबन्ध में कोई विपरीत बात न हो;

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के उपबन्ध स्वयं उत्पादक पर उसके द्वारा उत्पादित, पाले-पोसे या प्रक्रिया किये गये कृषि-उत्पादन के सम्बन्ध में, या ऐसे व्यक्ति पर जो अपने घरेलू उपभोग के लिये किसी कृषि-उत्पादन का क्रय अथवा संग्रह करता हो, लागू न होंगे।

[2][प्रतिबन्ध यह है कि कृषकों से सीधा क्रय किये जाने के निमित्त उत्पादन क्षेत्र के समीप संग्रह/एकीकरण केन्द्र स्थापित किये जाने एवं निजी मण्डी स्थल के मामले में, निदेशक कृषि विपणन उक्त मण्डी क्षेत्र के लिए लाइसेंस प्राधिकारी होगा।]

(2) कोई व्यक्ति सम्बद्ध समिति से तदर्थ लाइसेन्स प्राप्त किये बिना तथा लाइसेन्सों की शर्तों के विरुद्ध किसी प्रधान मण्डी स्थल या किसी उप मण्डी-स्थल में किसी निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन के सम्बन्ध में व्यापारी, दलाल आढ़तियों, गोदाम-परिचालक (Warehouse man) तोलक, पल्लेदार या किसी ऐसे अन्य रूप में, जो नियत किया जाये, न तो कारोबार करेगा और न काम करेगा।

[3][(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्ध किसी ऐसे निर्दिष्ट उत्पादन के सबंन्ध में जिसे किसी बैंक के पक्ष में ऐसे बैंक द्वारा दी गयी धनराशि के लिये प्रतिभूति के रूप में गिरवी या दृष्टिबन्धक रखा जाये; लागू न होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये शब्द "बैंक" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 में उसके लिये दिया गया है।]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं० 13, 1973 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 24 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं०7 सन् 1978 द्वारा बढ़ाया गया।

[1][9-क. (1) कोई मण्डी समिति कृषकों एवं व्यापारियों से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का क्रय करने के लिए यथाविहित रीति में, निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए एकीकृत लाइसेंस स्वीकृत कर सकती है-

(क) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण;

(ख) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का व्यापार;

(ग) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन करके अन्य रीति से ग्रेडिंग, पैकिंग और सौदा

(2) इस अधिनियम में यथा उपबन्धित मण्डी शुल्क और विकास उपकर उस मण्डी समिति को विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के क्रय और विक्रय पर संदेय होगा, जहाँ विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का वास्तव में संव्यवहार हुआ हो।]

10. नियमों या उप-विधियों द्वारा नियत व्यापारिक परिव्यय से भिन्न परिव्यय नहीं लिये जा सकेंगे—(1) उस दिनांक से जो राज्य सरकार गजट में विज्ञापित करे [* * *][2] कोई व्यक्ति प्रधान मण्डी-स्थल या उप मण्डी-स्थल में, निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के विक्रय या क्रय के किसी सौदे के सम्बन्ध में, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों द्वारा नियत व्यापारिक परिव्ययों से भिन्न कोई व्यापारिक परिव्यय न तो आरोपित करेगा और न लेगा तथा कोई न्यायालय, किसी ऐसे सौदे से उत्पन्न होने वाले किसी वाद या कार्यवाही में, किसी दावे या प्रतिदावे में, कोई व्यापारिक परिव्यय, जो इस प्रकार नियत न हो, नहीं दिलायेगा।

11. मण्डी-स्थलों से सम्बद्ध कतिपय उपबन्धों को मण्डी-क्षेत्र के शेष भाग में लागू करना—राज्य सरकार, यदि वह ऐसा करना लोक-हित में आवश्यक या इष्टकर समझे तो गजट में विज्ञप्ति द्वारा और ऐसी रीति से जो नियत की जाये, यह घोषणा कर सकती है कि धारा 9 की उपधारा (2) और धारा 10 के उपबन्ध प्रधान मण्डी-स्थल और उप मण्डी-स्थलों के बाहर मण्डी-क्षेत्र के विज्ञप्ति में सम्पूर्ण या किसी भाग पर लागू होंगे और तदुपरान्त उक्त उपबन्ध, विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक के तदनुसार लागू होंगे और प्रधान मण्डी-स्थल और उप मण्डी-स्थल से सम्बद्ध इस अधिनियम के शेष उपबन्ध भी, उसी दिनांक से, आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार निर्दिष्ट क्षेत्र पर लागू होंगे।

अध्याय 3
मण्डी समिति

12. समिति की स्थापना और उसका निगमन—(1) प्रत्येक मण्डी-क्षेत्र के लिये समिति होगी जो उस मण्डी-क्षेत्र की मण्डी समिति कहलायेगी जो सतत् अनुक्रम वाली एक निगमित निकाय होगी और उसकी एक अधिकृत मुहर होगी। इसे या किसी अन्य अधिनियमित द्वारा आरोपित निर्बन्धनों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, यह अपने निगमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगी अथवा उस नाम से उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और वह सम्पत्ति का अर्जन कर सकेगी, उसे धारण कर सकेगी तथा उसका निस्तारण कर सकेगी और संविदा कर सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि समिति के किसी अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण अपने सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों की बहुमत द्वारा समिति की किसी बैठक में यथाविधि पारित संकल्प के अनुसरण तथा [परिषद्][3] के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं करेगी।

(2) समिति लैण्ड एक्वीजशन ऐक्ट, 1894 (ऐक्ट सं 1, 1984) [4][और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रयोजनों के लिये, स्थानीय प्राधिकारी समझी जायेगी।]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 24 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।
2- अधिनियम सं० 10 सन् 1970 द्वारा निकाला।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति के अधिनियम सं० 13, 1973 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति के अधिनियम सं० 13, 1973 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

[1][13. समिति का संगठन—(1) धारा 12 में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा जैसी विहित की जाये—

(क) मण्डी क्षेत्र के उत्पादकों के नौ प्रतिनिधि;

(ख) मण्डी क्षेत्र में कारोबार करने वाले और तदनिमित्त इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स धारण करने वाले व्यापारियों के दो प्रतिनिधि;

(ग) मण्डी क्षेत्र में कारोबार करने वाले और तद्निमित्त इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स धारण करने वाले व्यापारियों के दो प्रतिनिधि;

(घ) मण्डी क्षेत्र में कारोबार करने वाले और तद्निमित्त इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स धारण करने वाले पल्लेदार और मापक के दो प्रतिनिधि;

(ङ) मण्डी समिति का सचिव, जो सदस्य सचिव होगा।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट सदस्य जिन्होंने मण्डी स्थलों में अधिसूचित कृषि उत्पाद का विक्रय किया हो और प्रपत्र 6 में विगत 3 वर्षों से ऐसे विक्रय बाउचर समिति से प्राप्त किया हो, जिनका मूल्य संचयी रूप से अधिकतम हो, नाम निदेशन के लिए अर्ह होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि नौ उत्पादक सदस्यों में से तीन सदस्य सीमांत कृषकों से, तीन सदस्य लघु कृषकों से और तीन सदस्य बड़े कृषकों से होंगे।

(3) प्रत्येक मण्डी समिति में एक सभापति और उप-सभापति होगा, जैसा उपधारा (1) के खण्डों (क से घ) में निर्दिष्ट सदस्यों द्वारा ऐसी रीति से निर्वाचित किये जाएंगे, जैसा कि विहित किया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि सभापति और उपसभापति, उपधारा (1) के खण्ड (क) के प्रकाशन के दिनांक से तीन वर्ष होगा, यदि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में समाप्त न कर दिया जाये।

(4) (क) उपधारा (1) के अधीन गठित समिति का कार्यकाल समिति के कार्यकाल का सविस्तारी होगा।

(ख) सभापति, उपसभापति और सदस्यों का कार्यकाल समिति के कार्यकाल का सहविस्तारी होगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन नाम-निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य का नाम, उसके नाम-निर्देशन के 21 दिन के भीतर निदेशक का रजिस्ट्रीकरण किया जायेगा।

(6) समिति द्वारा या उसकी ओर से कृत किसी कार्यवाही या कार्य पर इस आधार पर कि समिति के सभापति, उपसभापति या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के नाम-निर्देशन में किसी अर्हता के अभाव या किसी त्रुटि के आधार पर समिति में किसी रिक्तियां उसके गठन में किसी अन्य त्रुटि के आधार पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जायेगा।]

13-क. कतिपय परिस्थितियों में सदस्यों का त्याग-पत्र और नाम निर्देशन—(क) समिति का कोई सदस्य सभापति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है। त्याग-पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जिस दिनांक को इसे निदेशक के पूर्व अनुमोदन से सभापति द्वारा स्वीकार किया जाये;

(ख) राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा ऐसे सदस्यों को, जिन्होंने त्याग-पत्र दिया है, की रिक्तियों को भरने के लिए सम्बन्धित श्रेणी के सदस्यों में से व्यक्तियों को नाम-निर्दिष्ट कर सकती है और इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट किये गये व्यक्ति समिति के अवशिष्ट कार्यकाल तक के लिय पदधारण करेंगे।

13-ख. समितियों के सदस्यों, उपसभापति और सभापति का हटाया जाना—राज्य सरकार, निदेशक की सिफारिश पर, सभापति या उप सभापति सहित किसी सदस्य को हटा सकते हैं, यदि वह अपने

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 24 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

कर्तव्यों के पालन में उपेक्षा या कदाचार का या किसी अमर्यादित आचरण का दोषी पाया गया हो या सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो गया हो या दिवालिया न्याय निर्णीत कर दिया गया हो और ऐसे सदस्यों की रिक्ति यथास्थिति धारा 13 की उपधारा (3) या धारा 13-क के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुसार भरी जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सदस्य पद से तब तक नहीं हटाया जायेगा जब कि उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसन न दे दिया जाये।

13-ग. समिति का निलम्बन—जहाँ निदेशक का यह समाधान हो जाये कि—

(क) कोई समिति जानबूझकार अपने कृत्यों के सम्पादन या अपने कर्तव्यों के पालन में विफल हो गयी हो, या इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमित के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का अतिक्रमण किया हो या दुरुपयोग किया हो;

(ख) समिति के जारी रहने या उसके कार्य करते रहने से लोक व्यवस्था बनाये रखने पर या विपणन क्षेत्र या उसके भाग या अन्य विपणन क्षेत्रों में समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं को बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो; और

(ग) ऐसा करना आवश्यक हो;

तो वह समिति से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा समिति के कार्य को छः माह की अवधि तक के लिए निलम्बित कर सकता है।

13-घ. निलम्बन के परिणाम—(1) जहाँ कोई समिति धारा 13-ग के अधीन निलम्बित कर दी जाये, वहाँ उसके सभापति, उपसभापति और सदस्य के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उन्होंने निलम्बन अवधि तक अपना-अपना पद रिक्त कर दिया और समिति की शक्तियों, कर्त्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग, पालन और सम्पादन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा जो ऐसी शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग, पालन या सम्पादन या तो स्वयं या ऐसे अधिकृत अधिकारी के माध्यम से जो डिप्टी कलेक्टर से निम्न श्रेणी का न हो, कर सकता है।

(2) जहाँ परिस्थितियों के अनुसार समुचित आधार हो वहाँ निदेशक समिति के विघटन के लिए निलम्बन की तिथि से अपनी रिपोर्ट तीन माह के अन्दर राज्य सरकार को भेज सकता है।

(3) निदेशक राज्य सरकार को धारा 13-ग के अधीन निलम्बन के विषय में तत्काल रिपोर्ट करेगा और यदि कोई विपरीत निदेश या आदेश निदेशक को राज्य सरकार के 15 दिन के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो निलम्बन प्रथम आदेश में निदेशित अवधि के लिये जारी रहेगा अन्यथा वह उक्त मामले में राज्य सरकार के निदेशों के अनुसार कार्य करेगा।

13-ङ समिति का विघटन—यदि किसी समय राज्य सरकार का, निदेशक की रिपोर्ट पर, यह समाधान हो जाये कि किसी समिति ने इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किये गये किसी कर्तव्य के पालन में जानबूझकर व्यतिक्रम किया है, या समिति के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया है या उनका दुरुपयोग किया है, तो वह उन निमित्त कारणों का उल्लेख करते हुए आदेश द्वारा समिति को सरकार गजट में प्रकाशन द्वारा विघटित कर सकती है।

स्पष्टीकरण 1—जानबूझकर किये गये व्यतिक्रम का तात्पर्य समिति से उद्‌भूत कर्तव्यों का पालन करने में विफलता उस कर्तव्य का पालन में रजामन्दी का अभाव या उसकी अनिच्छा से है और ऐसी विफलता किसी घटना या अनवधानता से हुई त्रुटि का परिणाम नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण 2—कारणों को उल्लिखित करने का प्रयोजन यह सुनिश्चत करता है कि ऐसे कारण, जिन्होंने कार्यवाही के लिए प्रेरित किया है, राज्य सरकार में निहित शक्ति की विषयवस्तु और परिधि के सन्दर्भ में वास्तविक और सुसंगत है।

13-च. विघटन के परिणाम—समिति के विघटन पर—

(क) समिति के सभी सदस्यों, जिनके अन्तर्गत सभापति और उपसभापति भी हैं, के बारे में यह समझा जायेगा कि वे विघटन के दिनांक से अपने पद रिक्त कर चुके हैं।

(ख) कलेक्टर समिति का प्रशासक बन जायेगा और जब तक धारा 13 के अधीन नई समिति का संगठन नहीं हो जाता है वह या तो स्वयं या किसी ऐसे अधिकारी के माध्यम से, जो डिप्टी कलेक्टर से निम्न श्रेणी का न हो, सभापति, उपभापति और समिति की शक्तियों का प्रयोग कर्त्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करेगा।

[1][**14.** [***]

15. आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति—यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने, उसके त्यागपत्र दे देने या हटाये जाने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से कोई रिक्त हो जाये, तो उसकी पूर्ति हो जाये,तो उसकी पूर्ति उसी वर्ग के व्यक्ति द्वारा की जायेगी जिस वर्ग का वह व्यक्ति रहा हो जो सदस्य न रह गया हो और इस प्रकार [2][राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट या नियुक्त] व्यक्ति उस व्यक्ति के कार्यकाल को शेष अवधि के लिये सदस्य होगा जिसको रिक्त में वह सदस्य हुआ हो।

प्रतिबन्ध यह है कि निदेशक द्वारा आदेश दिया जाये तो ऐसी रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायेगी जो छः मास से अधिक के लिए न हो।

[3][अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट करके पूर्ति की जाने वाली रिक्तियों के सम्बन्ध में प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड का इस प्रकार अथ किया जोयगा मानो कि शब्द "निदेशक" के स्थान पर "राज्य सरकार" रखे गये हों।]

16. समिति के कृत्य और कर्तव्य—(1) समिति मण्डी-क्षेत्र में इस अधिनियम, तद्धीन बनाये गये नियमों और उपनियमों को लागू करेगी, वहाँ पर निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन के क्रय तथा विक्रय के लिए ऐसी सुविधाओं को [4][जो परिषद द्वारा समय-समय पर समिति को दिये गये किसी निदेश में निर्दिष्ट की जायें] अथवा समिति द्वारा आवश्यक समझी जाये, व्यवस्था करेगी और ऐसे अन्य कार्य करेगी जो उस मण्डी क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन के क्रय तथा विक्रय को विनियमित करने के लिए आवश्यक हों, और उक्त प्रयोजनों के लिए ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन और कृत्यों को सम्पादन करेगी जिनकी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन व्यवस्था की जाये।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समिति—

(i) निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन के उत्पादकों और उसके विक्रय या क्रय में लगे हुए व्यक्तियों के बीच न्यापूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करेगी।

(ii) प्रधान मण्डी स्थल या उपमण्डी-स्थलों में विक्रेताओं द्वारा बिक्री किये गये निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में उत्पादकों को तत्काल भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेगी।

(iii) निर्दिष्ट कृषि उत्पादन का वर्गीकरण या मान-स्थापन करेगी;

(iv) मण्डी-क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले बाटों, मापों और तौलने तथा मापन के यन्त्रों की जांच और सत्यापन करेगी और उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, 1959 उ० प्र० अधिनियम संख्या 6, 1959 के उपबन्धों के उल्लंघन की सूचना सम्बद्ध प्राधिकारियों को देगी।

(v) ऐसी समस्त सूचना का संग्रह और प्रचार करेगी जो निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन के उत्पादकों और उसके क्रय या विक्रय में लगे हुए व्यक्तियों के लिये लाभाप्रद हो, और विशेष रूप से, ऐसे

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम स० 13, 2004 द्वारा निकाला गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 13, सन् 2004 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 10, सन् 1970 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 13, सन् 1973 द्वारा प्रतिस्थापित।

कृषि-उत्पादन के उन स्थानों में प्रचलित मूल्यों की सूचना रखेगी जहाँ उसका निर्यात लाभप्रद हो अथवा जहाँ से उसका सम्बद्ध मण्डी-क्षेत्र में आयात करना मितव्ययितापूर्ण हो;

(vi) व्यापारियों परिव्ययों, मण्डी परिपाटियों और निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय-विक्रय की प्रथाओं तथा रूढ़ियों को स्थिर और विनियमित करेगी;

(vii) प्रधान मण्डी-स्थल और उपमण्डी-स्थलों में उत्पादकों को वहाँ पर क्रय या विक्रय के सौदों में लगे हुये व्यक्तियों के लिए उचित सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करेगी और विशेष रूप से सड़कों, मार्गों, मण्डी की गलियों और छोटी गलियों (bye lanes) दुकानों, आश्रय-स्थानों, अड्डों संग्रह-स्थानों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण करेगी तथा ऐसी अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करेगी जो तदर्थ नियत की जाये;

[1][(vii-a) मण्डी क्षेत्र में हाट और पैठ के समुचित विकास, और वहाँ पर क्रय और विक्रय के सौदों में लगे हुए, व्यक्तियों के लिये उचित सुविधाओं, की व्यवस्था करेगी;

(vii-b) मण्डी क्षेत्र में समपर्क सड़कों, मार्गों, मण्डी की गलियों और छोटी गलियों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण की करेगी;]

[2][(vii-c) Mandi Samiti will construct, repair and maintain Kisan Bazar in its Mandi and for sale of agricultural produce by the farmers directly to consumers, exhibition of art by fold artists, exhibition and sale of items made by handicraft and handloom artisans, sale of other products by different sellers, instalment of shops selling the food or refreshment items or daily use items for farmers and consumers, setting up Kisan Rest House and Community Centre, and related activities,]

(viii) प्रधान मण्डी-स्थल या उपमण्डी-स्थलों में लाइसेन्सधारियों में आपस में या लाइसेन्सधारियों तथा उन व्यक्तियों के बीच, जो क्रय या विक्रय के सौदे कर, मतभेदों या विवादों के सभी मामलों में मध्यस्थ या विवाचक (arbitrator) के रूप में काम करेगी;

(ix) उचित रूप में लेखा रखेगी और उसकी ऐसी रीति से जो नियत की जाये नियमित रूप से लेखा-परीक्षा करायेगा;

(x) वार्षिक बजट तैयार करेगी, जिसमें आगामी वर्ष के सभी अग्रिम धन, ऋण, अनुदान और किये जाने वाले व्यय के प्राक्कलन दिखाये जायेंगे तथा [3][जिसमें उसके द्वारा राज्य सरकार, परिषद अथवा राज्य के सामान या विशेष आदेश द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त किसी वित्तीय संस्था से जिसके अन्तर्गत कोई सहकारी बैंक भी है (जिसे आगे मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था कहा गया है।) से लिए गये ऋण पर या इनके द्वारा उसे दिये गये अग्रिम धन पर ब्याज के; भुगतान की या ऐसे ऋण के प्रतिदान की व्यवस्था की जायेगी और उक्त बजट परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।]

(xi) ऐसे निर्माण कार्यों के नक्शे और प्राक्कलन तैयार करेगी जो प्रधान मण्डी-स्थल तथा उपमण्डी स्थलों में करने का उसका विचार हो और उक्त प्रयोजन के लिए लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 (ऐक्ट सं० 1 सन् 1894) के अधीन भूमि अर्जन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 10, सन् 1991 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, सन् 2015 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनःअधिनियमित। राष्ट्रपति के अधिनियम संख्या 13, 1973 द्वारा प्रतिस्थापित।

(xii) अपने मामलों में सम्बन्धित अथवा इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन का कोई वाद अभियोग या कार्यवाही चलायेगी या उसका प्रतिवाद करेगी;

(xiii) अपनी मुहर लेखा पुस्तिकाओं तथा अन्य अभिलेखों की अभिरक्षा तथा उन्हें रखने की व्यवस्था करेगी;

(xiv) प्रधान मण्डी-स्थल तथा उपमण्डी-स्थलों में प्रवेश करने तथा उनका उपयोग करने को नियन्त्रित और विनियमित करेगी, और

(xv) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का पालन करेगी जो नियत किये जायें।

17. समिति के अधिकार—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये समिति के निम्नलिखित अधिकार होंगे—

(i) इस अधिनियम के अधीन ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर तथा ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जो नियत किये जाये, लाइसेन्स जारी या नवीकृत करना, अथवा उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी ऐसे लाइसेन्स को जारी या नवीकृत करने से इन्कार करना।

(ii) इस अधिनियम के अधीन जारी या नवीकृत किये गये लाइसेन्सों को निलम्बित या रद्द करना।

प्रतिबन्ध यह है कि, सिवाय ऐसे आचरण के आधार पर जिससे लाइसेन्सधारी की धारा 37 के अधीन दोष सिद्ध किया गया हों, लाइसेन्स रद्द करने के पूर्व समिति उसे प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण प्रकट करने का समुचित अवसर देगी।

[1][(iii) (क) लाइसेन्स देने या उसका नवीकरण करने के लिए ऐसे शुल्क लगाना, जो नियत किये जायें और उन्हें वसूल करना; और

(ख) मण्डी शुल्क, जो मण्डी क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सौदों पर ऐसी दरों पर, जो इस प्रकार बेचे गये कृषि उत्पादन के मूल्य के, एक प्रतिशत से कम और [दो प्रतिशत से अधिक न हो][2] जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करें, और विकास से जो ऐसे सौदों पर, इस प्रकार बेचे गये कृषि उत्पादन के मूल्य के आधा प्रतिशत की दर पर लगाना और वसूल करना, और ऐसा शुल्क या विकास सेस निम्नलिखित रीति से वसूल किया जायेगा—

(1) यदि उत्पादन, आढ़तियों के माध्यम से बेचा जाये तो आढ़तिया क्रेता से मण्डी शुल्क और विकास सेस का देनदार होगा;

(2) यदि कोई व्यापारी सीधे उत्पादक से उत्पादन क्रय करे तो वह व्यापारी समिति को मण्डी शुल्क और विकास सेस का देनदार होगा;

(3) यदि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से उत्पादन क्रय करे तो उत्पादन बेचने वाला व्यापारी उसे क्रेता से वसूल कर सकता है और वह समिति को मण्डी शुल्क और विकास सेस का देनदार होगा;

प्रतिबन्ध यह है कि किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उत्पादन बेचने वाला व्यापारी समिनि को मण्डी शुल्क का देनदार होगा और 12 जून, 1973 से सदैव से देनदार हुआ समझा जायेगा और इन आधार पर कि उसने उस क्रेता से वसूल कर नहीं किया है, ऐसे दायित्व से मुक्त न होगा;

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 4, सन् 1999 द्वारा प्रतिस्थापित (15-8-1998 से प्रभावी)
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 24, सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उत्पादन बेचने वाला व्यापारी विकास सेस का भुगतान करने के दायित्व से, इस आधार पर कि उसने उसे क्रेता से वसूल नहीं किया मुक्त न होगा।

(4) ऐसे उत्पादन के विक्रय को किसी अन्य स्थिति में, क्रेता समिति को मण्डी शुल्क और विकास सेस का देनदार होगा;

प्रतिबन्ध यह है कि किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के फुटकर विक्रय पर कोई मण्डी शुल्क या विकास सेस नहीं लगाया जायेगा न वसूल किया जायेगा यदि ऐसा विक्रय उपभोक्ता को केवल उसके घरेलू उपभोग के लिये किया जाये;

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इस अधनियम में किसी बात के होते हुए भी समिति, यथास्थिति, आढ़तिया, व्यापारी या क्रेता, जिसने लाइसेन्स प्राप्त किया हो, के विकल्प पर किसी कृषि वर्ष के लिए, उसके द्वारा देय मण्डी शुल्क या विकास सेस की धनराशि के बदले में एकमुश्त धनराशि ऐसे निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में ऐसी अवधि के लिये, ऐसी शर्तो पर और ऐसी रीति से जैसी कि राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, स्वीकार कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि [1][* * *] ऐसे निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सौदों पर कोई मण्डी शुल्क या विकास सेस नहीं लगाया जायेगा जिस पर किसी मण्डी क्षेत्र में मण्डी शुल्क या विकास मे लगाया जा चुका है, यदि व्यापारी विहित प्ररूप और रीति से घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि ऐस निर्दिष्ट कृषि उत्पादन पर मण्डी शुल्क या विकास सेस किसी अन्य मण्डी क्षेत्र में पहले ही लगाया जा चुका है।]

[2][(iii-a) उपविधियों में मण्डी शुल्क के भुगतान के लिये नियत अवधि के ठीक बाद के दिनांक से मण्डी शुल्क की अदत्त धनराशि पर [3][व्यापार कर अदत्त धनराशि के लिए उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 में विहित दर से] ब्याज वसूल करना जिसकी गणना उपविधियों में नियत रीति से की जायेगी।]

[(iv) इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिये मण्डी समिति निधि का लेन-देन और उपयोग करना।

[4][(v) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अपेक्षित धनराशि राज्य सरकार या परिषद् से या परिषद् की पूर्व स्वीकृत के अधीन रहते हुए किसी अन्य समिति या मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से जुटाना।]

(v-a) परिषद् को, ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर जो परिषद् और समिति के मध्य परस्पर समस्त हों, उधार देना;

(v-b) निदेशक की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुए ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर जिन्हें परिषद अवधारित करे, या किसी अन्य समिति को उधार देना।

(vi) धारा 23 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति के अधिकारियों और सेवकों को नियोजित करना;

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 1, सन् 2000 द्वारा निकाला गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 10, सन् 1991 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 34, सन् 2006 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 6, सन् 1977 द्वारा प्रतिस्थापित

(vii) समिति के दो या अधिक सदस्यों को उपसमितियां नियुक्त करना जो ऐसे अधिकारों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करें, जो समिति द्वारा उन्हें सौंपे जायें, और

(viii) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करना जो नियत किये जायें।

[1][*स्पष्टीकरण*—खण्ड (3) के प्रयोजनों के लिये, जब कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये, किसी लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी द्वारा या उसकी ओर से किसी मण्डी क्षेत्र के बाहर ले जाये गये या ले जाने के लिए प्रस्तावित किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में यह उपधारणा की जायेगी कि उसे ऐसे क्षेत्र के भीतर बेचा गया है और ऐसी स्थिति में, ऐसे उत्पादन के, जिसके बेचे जाने की उपधारणा की जाये, मूल्य को ऐसा युक्ति-युक्त मूल्य समझा जायेगा जैसा नियत रीति से अभिनिश्चित किया जाये।]

17-क. [2][(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी—

(क) जहाँ राज्य सरकार अथवा यथाविहित प्राधिकारी की राय हो कि राज्य में औद्योगिक या कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने और उक्त इकाइयों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किये जाने वाले विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादनों के विपणन को सम्प्रवर्तित करने के लिए लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वहाँ वह ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाये आवेदन करने पर अधिसूचना द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन या उत्पादनों पर ऐसी अवधि, जो पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी, के लिए जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये मण्डी शुल्क (विकास सेस को छोड़कर) से छूट प्रदान कर सकती है या उसकी दर में कमी कर सकती है जिन्हें ऐसी नवस्थापित कृषि प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा उपयोग किया जा सकता है जो इस शर्त को पूरा करती हों कि उनके संयंत्र और मशीनरी की लागत पाँच करोड़ से कम नहीं है :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार औद्योगिक या कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के तैयार उत्पादन, जो एक विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन हो और उसमें प्रयुक्त सामग्री कोई विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन न हो पर (विकास सेस को छोड़कर) मण्डी शुल्क से छूट प्रदान कर सकती है या उसके दर में कमी कर सकती है।

(ख) जहाँ राज्य सरकार की राय हो कि विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है वहाँ वह आवेदन किये जाने पर या अन्यथा अधिसूचना द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन या उत्पादनों पर ऐसी अवधि, जो पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी, के लिए जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, मण्डी शुल्क और विकास सेस से छूट प्रदान कर सकती है जिन्हें लाइसेंसधारी द्वारा विहित रीति से निर्यात किया जाये।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी नये पूर्णरूपेण निर्यातोन्मुख औद्योगिक या कृषि प्रसंस्करण इकाई मामले में, जो नष्ट होने वाले विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद को कच्चे माल के रूप में उपयोग करती हो, इस खण्ड के अधीन छूट की अवधि 10 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ायी जा सकती है।]

(2) राज्य सरकार, इस बात का समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, अधिसूचना द्वारा ऐसी अवधि, जो प्रवृत्त थी, की समाप्ति के पूर्व उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना को विखण्डित कर सकती है।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 12, सन् 1987 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 27 सन् 2013 द्वारा प्रतिस्थापित।

18. समिति की ओर से संविदायें—(1) समिति द्वारा या उसकी ओर से प्रत्येक संविदा नियत रीति से निष्पादित की जायेगी।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करके समिति द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित कोई भी संविदा उस पर बन्धनकारी न होगी।

(3) समिति की प्रत्येक आज्ञा सभापति के हस्ताक्षर से या उसके अनुपस्थिति अथवा असमर्थ होने पर उप-सभापति के, जब समिति द्वारा प्राधिकार दिया गया हो तो सचिव के हस्ताक्षर से और समिति के आधिकरिक मुहर लगा कर प्रमाणित की जायेगी।

19. मण्डी समिति निधि और उसका उपयोग—(1) प्रत्येक समिति के लिये एक निधि स्थापित की जायेगी जो मण्डी समिति निधि कहलायेगी तथा जिसमें समिति द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां, जिनके अन्तर्गत उसके द्वारा लिये गये सभी ऋण तथा उसे दिये गये अग्रिम धन और अनुदान भी है; जमा की जायेंगी।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए समिति द्वारा किये गये सभी व्यय उक्त निधि से किये जायेंगे, और, यदि कोई अधिशेष धनराशि हो, तो वह ऐसी रीति से विनियोजित की जायेगी जो नियत की जाये।

(3) धारा 16 के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समिति अपनी निधि का उपयोग निम्नलिखित सभी या किसी एक का भुगतान करने के लिए कर सकती है।

(i) समिति के लेखों का लेखा-परीक्षा में हुये व्यय;

(ii) समिति द्वारा उसके लिये नियोजित अधिकारियों तथा सेवकों से वेतन, पेन्शन और भत्ते जिनके अन्तर्गत अवकाश भत्ते उपदान (Gratuities) कारुण्य भत्ते (Compassionate allowance), चिकित्सा सहायता और भविष्य निधि तथा पेन्शन में अंशदान भी है;

(iii) इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के व्यय और उसके प्रासंगिक व्यय;

[1][(iv) धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (दस) में निर्दिष्ट ऋणों तथा अग्रिमों की मूलधन राशि या उन पर ब्याज,

(iv-a) समिति के कब्जे में किसी भूमि या भवन का किराया और उसके कर;]

(v) ऐसी समस्त सूचना जो, उत्पादकों और कृषि-उत्पादन के क्रय-विक्रय में लगे हुए अन्य व्यक्तियों के हित में हो, जिसके अन्तर्गत शस्य सांख्यिकी (Crop-statistics) और मण्डी परिज्ञान (Market intelligene) भी है, के संग्रह अनुरक्षण, प्रचार और संभरण पर व्यय;

(vi) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अर्जित भूमि या भवनों का व्यय;

(vii) मण्डी स्थलों के लिये और उनका प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के लिये आवश्यक भवनों के निर्माण और मरम्मत का व्यय;

(viii) मण्डी स्थलों के अनुरक्षण, विकास और सुधार का व्यय;

(ix) मण्डी क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों, भारवाही पशुओं, लद्दू पशुओं और वाहन के लिये आश्रय स्थल, शेड, गाड़ी खड़ी करने की जगह और जल जैसी सुविधाओं और सुख-साधन की व्यवस्था करने पर और मण्डी क्षेत्र में कृषि सुधार विपणन के विकास पर जिसके अन्तर्गत सम्पर्क सड़क, पुलिया, पुल का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत और अन्य ऐसे प्रयोजन भी है, व्यय'',

1. राष्ट्रपति के अधिनियम सं० 13, 1973 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(x) मण्डी समिति के सदस्यों की यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते;

(xi) मण्डी समिति के कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम धन और;

(xi-a) परिषद् द्वारा अनुमोदित पूर्व संस्थाओं, मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं को पिछले वित्तीय वर्ष में अपनी सम्पूर्ण वार्षिक प्राप्तियों (धारा 17 के खण्ड (5) के अन्तर्गत प्राप्त सरकार द्वारा अनुदान में दी गई धनराशि को छोड़कर) के अधिकतम दो प्रतिशत तक वित्तीय सहायता।

(xii) ऐसे अन्य व्यय जो नियत किये जायें।

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (2) में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में वार्षिक व्यय, समिति की कुल वार्षिक प्रतियों के जिसके अन्तर्गत इसके द्वारा लिये गये ऋण और उसे दिये गये, अग्रिम धन या अनुदान नहीं है, दस प्रतिशत से अधिक सिवाय परिषद के पूर्वानुमोदन के न होगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 40, 1933) के अधीन अतिरिक्त मण्डी शुल्क के रूप में वसूल की गयी समस्त धनराशि का उपयोग मण्डी क्षेत्र में केवल खण्ड (9) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन कहा जायेगा।

[1][* * *]

[2][(5) प्रत्येक समिति वित्तीय वर्ष में धारा 17 के खण्ड 5 के अधीन जुटाई गई धनराशि, विकास सेस के रूप में वसूल की गयी धनराशि और राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों को छोड़कर उसकी कुल प्राप्तियों में से केवल पचास प्रतिशत अथवा दस करोड़ रुपये जो भी कम हो, रखकर शेष धनराशि परिषद को अंशदान के रूप में अन्तरित करेगी।]

[3][(6) प्रत्येक समिति विकास सेस के रूप में वसूल की गयी समस्त धनराशि को प्रत्येक माह परिषद को भुगतान करेगी, जिसे धारा 26-ततत के अधीन स्थापित केन्द्रीय मण्डी निधि में जमा किया जायेगा]

[**19-क. समिति के दायित्वों की पूर्वता**—समिति के परिचालन, अनुरक्षण तथा प्रबन्ध सम्बन्धी व्ययों के पूरा करने के पश्चात् उसकी यथा उपलब्ध आय का उपयोग निम्नलिखित क्रम में किया जायेगा अर्थात्—

(1) ऐसे ऋण जो राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत न हो मूल अधिनियम और उस पर ब्याज की प्रतिदान।

(2) राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत न हो, मूल धनराशि और उस पर ब्याज का प्रतिदान।

(3) राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों यदि कोई हो के अधीन उस सरकार द्वारा प्रदत्त धन को मूल राशि और उस पर ब्याज का प्रतिदान।

(4) राज्य सरकार से लिये गये ऋण को मूल धनराशि और उस पर ब्याज का प्रतिदान।

(5) शेष धनराशि का उपयोग इस अधिनियम के अधीन समिति को देय शुल्कों की कटौती करने के लिए अथवा समिति के किन्ही भी कृत्यों का निर्वहन करने के उपगत व्ययों के लिये जैसा समिति उचित समझे अथवा जैसा निर्देश दे।

[4][**19-ख. मण्डी विकास निधि**—(1) प्रत्येक समिति के लिए एक निधि स्थापित की जायेगी जिसे मण्डी विकास निधि' कहा जायेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी—

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 6, सन् 1977 द्वारा निकाला गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 24 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 4 सन् 1999 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 7 सन् 1978 द्वारा अन्तःस्थापित (29-12-1977 से प्रभावी)

(क) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व मण्डी समिति निधि में जमा धनराशि का पैंसठ प्रतिशत;

(ख) ऐसी अन्य धनराशि जिसे इस निधि में जमा करने के लिए परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्देश दिया जाये।

(2) मण्डी विकास निधि का उपयोग मण्डी क्षेत्र के विकास के प्रयोजनार्थ किया जायेगा और निधि से कोई धनराशि सिवाय परिषद् द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश में के अनुसार न तो व्यय और विनिहित की जायेगी।]

[1][(3) उपधारा (2) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मण्डी विकास निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनार्थ के लिए किया जायेगा, अर्थात्—

(i) कृषकों, अन्य उत्पादको और मण्डी शुल्क देने वालों को निम्नलिखित रूपों में सुविधायें प्रदान करना—

सुख-सुविधाएं, मण्डी विषयक आसूचनायें, उचित तौल, वर्गीकरण, क्वालिटी नियन्त्रण, भण्डारण, उपयोगितावर्धन क्रिया-कलाप के लिए आधारभूत संरचनाएं, कूपदधतियों, बहु व्यापार प्रभार उद्ग्रहण तथा अन्य आहरण में कमी आना, नवीन मण्डी स्थल में विभिन्न व्यापारों के लिए विशेष सुविधायें तथा अन्य ऐसी सुविधायें देना जो अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मण्डी क्षेत्र में आवश्यक समझी जाये।

(ii) प्रधान मण्डी स्थलों, उप मण्डी-स्थलों, हाठ और पैठ का विकास करना और नवीन मण्डी स्थलों का निर्माण करना और मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों और अन्य विकास कार्यों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत करना।

(iii) अधिनियम के अधीन अन्य विकास और सुव्यवस्था विषयक प्रयोजन।

स्पष्टीकरण—"नवीन मण्डी स्थल" का तात्पर्य थोक सौदा करने के लिये धारा 7 की उपधारा (2) खण्ड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट स्थान या स्थानों से है।"]

20. समिति को देय धनराशियों की मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूली तथा वसूल न होने योग्य देयों को बट्टे खाते डालने का अधिकार—(1) यदि नियम अवधि के भीतर समिति को देय किसी धनराशि का भुगतान न किया गया हो तो वह मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।

(2) समिति किसी धनराशि को बट्टे खाते में डाल सकती है जो उसे देय हो, यदि कलेक्टर प्रमाणित कर दे कि वह वसूल होने योग्य नहीं है।

प्रतिबन्ध यह है कि 200 रु० से अधिक कोई भी धनराशि, निदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना, बट्टे खाते में नहीं डाली जायेगी।

21. अधिभार—(1) समिति का सभापति, उप-सभापति और प्रत्येक सदस्य, अधिकारी और सेवक, समिति की किसी धनराशि या धनराशि या सम्पत्ति की हानि, अपव्यय का दुरुपयोग होने पर अधिभार के लिये उत्तरदायी होगा, यदि ऐसी हानि, अपव्यय का दुरुपयोग, ऐसे सभापति, उप-सभापति, सदस्य, अधिकारी या सेवक के रूप में कार्य करते हुये उसकी उपेक्षा या दुराचरण के कारण हुआ हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया और हानि, अपव्यय का दुरुपयोग हुई धनराशि की वसूली ऐसे रीति से की जायेगी जो नियत की जाये।

(3) किसी ऐसी धनराशि वसूली के लिए जिसे उपधारा 2 के अधीन व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकता है किसी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 10, सन् 1991 द्वारा बढ़ाया गया। (01-9-1990 से प्रभावी।)

अध्याय 4

समिति के अधिकारी तथा सेवक

22. सभापति तथा उप-सभापति के अधिकार और कृत्य—(1) सभापति और उनकी अनुपस्थिति में उप-सभापति, इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों और उपविधियों तथा समिति के संकल्पों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, समिति के अधिकारियों तथा सेवकों का अधीक्षण और नियंत्रण करेगा तथा ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जो नियत किये जायें या समिति द्वारा तदर्थ पारित संकल्प द्वारा उसे प्रतिनिहित किये जायें।

(2) सभापति और उसकी अनुपस्थिति में उप-सभापति, समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य, उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

23. समिति के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा की शर्तें—(1) इस अधिनियम में उपबन्धों के तथा तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, समिति द्वारा पारित संकल्प द्वारा या उपविधियों द्वारा अधिकृत सीमा तक समिति उसका सभापति या सचिव ऐसे अधिकारियों और सेवकों को, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों, सेवा की ऐसी शर्तों पर, जिनकी व्यवस्था समिति की उपविधियों में की जायें, नियुक्त कर सकता है।

(2) प्रत्येक समिति [1][के उतने सचिव] ऐसे अन्य अधिकारी होंगे जिन्हें परिषद् समिति के कृत्यों को दक्षता से निवर्हन करने के लिए आवश्यक समझे जो परिषद् द्वारा ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों पर जिनकी व्यवस्था परिषद् द्वारा बनाये गये विनियमों में की जाये नियुक्त किये जायेंगे।

(3) [2][* * *]

[3][**23-क. केन्द्रीय सेवा का संगठन तथा कर्मचारियों की स्थानान्तरण**—(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् सभी समितियों के लिये सचिवों और ऐसे अन्य अधिकारियों का एक सामान्य संवर्ग संगठित करेगी जिन्हें वह धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त करना उचित समझे।

[4][(2) उपधारा (2-ख) उपबन्धों के अधीन होते हुये—

(क) किसी समिति में प्रतिनियुक्ति पर सेवारत सरकारी सेवक से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट संवर्ग में समाविष्ट कोई पद धारण करता हो, और

(ख) उक्त संवर्ग में किसी पद पर, प्रतिनियुक्ति पर किसी समिति में सेवारत प्रत्येक सरकारी सेवक, जो अनुपयुक्त न पाया जाये, उसकी उपयुक्तता ऐसी रीति से अवधारित की जायेगी जैसी विनियमों में निर्धारित की जाये।

उक्त संवर्ग के गठन के दिनांक को और उसी दिनांक से (जिसे आगे इस धारा में उक्त दिनांक कहा गया है) उपधारा (2-क) में उल्लिखित निर्बन्धनों और शर्तों पर संवर्ग का सदस्य हो जायेगा।

(2-क) प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (2) के अधीन संवर्ग का सदस्य हो जाता है उतना ही पदावधि के लिये, उसी पारिश्रमिक पर, उन्हीं निर्बन्धनों और शर्तों पर और पेन्शन उपदान और अन्य विषयकों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद धारण करेगा जिन पर वह उक्त दिनांक को हक़दार होता यदि संवर्ग का गठबन्धन न हुआ होता, और इस प्रकार हक़दार बना रहेगा जब तक कि संवर्ग

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 10, सन् 1991 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. राष्ट्रपति के अधिनियम सं० 13, सन् 1973 द्वारा निकाल दिया गया।
3. राष्ट्रपति के अधिनियम सं० 13, सन् 1973 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 20, सन् 1984 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

के सदस्य के रूप में उसका सेवायोजन समाप्त न कर दिया जायेया जब तक कि किसी विधि के अधीन या उसके अनुसरण में या किसी ऐसे उपबन्ध के अनुसार जिससे तत्समय उसकी सेवा नियन्त्रित होती हो, परिषद् द्वारा उसके पारिश्रमिक या सेवा के अन्य निर्बन्धनों और शर्तों का पुनरीक्षण या परिवहन न कर दिया जाये।

(2-ख) उपधारा (2) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो राज्य सरकार को, ऐसे समय के भीतर, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, दी गई लिखित सूचना द्वारा उक्त संवर्ग का सदस्य न होने के अपने आशय की सूचना दे।

(2-ग) किसी समिति के अधीन किसी कर्मचारी की सेवाये जो आमेलन के विरुद्ध करता है, पद समाप्त किये जाने के आधार पर समाप्त हो जायेगी और इस प्रकार सेवा समाप्ति पर, वह सम्बद्ध समिति से निम्नलिखित के बराबर प्रतिकर पाने का हक़दार होगा—

(क) किसी स्थायी कर्मचारी की स्थिति में, तीन मास की परिलब्धियाँ;

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की स्थिति में, एक मास की परिलब्धियाँ।

(2-घ) किसी सरकारी सेवक जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट संवर्ग में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर किसी समिति में सेवारत हो, आमेलन के विरुद्ध विकल्प करता है या जिसे उपयुक्त न पाया जाये, उसके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा और, यदि उसकी ज्येष्ठता को ध्यान में रखते हुए, मूल विभाग में उसके लिए कोई पद उपलब्ध नहीं है तो उसकी सेवायें पद के समाप्त किए जाने के आधार पर प्रत्यावर्तन के आदेश के दिनांक से समाप्त हो जायेंगी और इस प्रकार सेवा की समाप्ति पर, वह राज्य सरकार से उपधारा (2-ग) में उल्लिखित धनराशि के बराबर प्रतिकर पाने का हक़दार होगा।]

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु किसी अभिव्यक्ति प्रतिकूल अनुबन्ध के अधीन रहते हुए, उसमें अभिदिष्ट कोई व्यक्ति जो संवर्ग का सदस्य हो जाये किसी समिति से जिसमें वह उक्त दिनांक के ठीक पूर्व सेवायोजित था, किसी अन्य समिति में उसी पारिश्रमिक तथा उन्हीं अन्य निर्बन्धनों एवं शर्तों पर जिनसे वह ऐसे स्थानान्तरण के ठीक पूर्व नियन्त्रित होता था, स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(4) उपधारा (2) में अभिर्दिष्ट कर्मचारियों के लिये संगठित किसी निवृत्तिवेतन भविष्य निधि, उपदान अथवा तत्सदृश अन्य निधि में उनके नाम जमा धनराशि यथास्थिति, राज्य सरकार या सम्बद्ध समिति द्वारा उक्त दिनांक तक देय संचयित ब्याज और ऐसी निधि से सम्बन्धित लेखे सहित, परिषद् को अन्तरित कर दी जायेगी और राज्य सरकार या किसी समिति को छोड़कर, परिषद् ऐसे कर्मचारियों को निवृत्ति-वेतन, भविष्य निधि उपदान या अन्य तत्सदृश देयों का, जो उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार, समुपयुक्त समय पर, उन्हें देय हों, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन संवर्ग में किसी कर्मचारी की सेवाओं के स्थानान्तरण से कोई ऐसा कर्मचारी ऐसी विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार न होगा, और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारण द्वारा ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(6) राज्य सरकार अथवा किसी समिति का प्रत्येक स्थायी या अस्थायी कर्मचारी उपधारा (2) के अधीन संवर्ग का सदस्य होने पर उक्त दिनांक की ओर से स्थायी या अस्थायी पद के प्रति जो उक्त दिनांक में ऐसे संवर्ग में सृजित हो जायेगी, संवर्ग का यथास्थिति, स्थायी या अस्थायी सदस्य हो जायेगा।

(7) सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स, जैसा कि राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति के नियन्त्रणाधीन सरकारी सेवकों पर लागू है, के पैरा 426 या 436 अथवा पदों की छटनी या उनकी समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में समितियों के कर्मचारियों से सम्बन्धित किन्हीं अन्य नियमों की कोई बात, सिवाय इस धारा में व्यस्थित सीमा तक उपधारा (2) में अभिर्दिष्ट किसी कर्मचारी पर लागू न होगी।

24. सचिव के कृत्य, अधिकार और कर्तव्य—[1][(1) समिति का सचिव उसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे कृत्यों का सम्पादन, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो नियत किए जायें या जो उपविधियों में उपबन्धित किये जायें या जैसा परिषद् या निदेशक लिखित आदेश द्वारा निर्देश दें।

प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी एक समिति में एक से अधिक सचिव तैनात किये जायें, तब निदेशक सचिवों में से एक सचिव को उसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी नामांकित करेगा और उनमें से प्रत्येक द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कृत्यों, प्रयोग किये जाने वाली शक्तियों और पालन किये जाने वाले कर्तव्यों को अवधारित करेगा।]

(2) पूर्वोक्त उपबन्धों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव बिना, किन्तु इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और उपविधियों की उपबन्धों के अधीन रहते हुये सचिव—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि—

(i) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन सौंपे गये कर्तव्यों का पालन उचित रूप से तथा दक्षतापूर्वक हो, समिति के समस्त अधिकारियों और सेवकों के तथा,

(ii) समिति के मामलों के, अधीक्षण और नियन्त्रण के सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

[2][(ख) समिति के किसी कर्मचारी के अपेक्षा दुराचरण या कर्तव्यच्युति के मामलों की रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी की आवश्यक कार्यवाही के लिए देगा और यदि इसके लिए अधिकृत किया गया हो तो समिति के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही करेगा।]

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि परिषद् सभापति या समिति द्वारा जारी की गई सभी आज्ञाओं का समुचित रूप से पालन किया जाये।

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि—

(i) समिति की ओर से प्राप्त या व्यय की गई सभी धनराशियों के लेखे।

(ii) इस अधिनियम, या तद्धीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के अधीन निर्णय के लिए आये हुए विवादों के अभिलेख; और

(iii) उसके द्वारा निपटाये गये विवादों का अभिलेख ऐसे प्रपत्र में, जो नियत किया जाये, समुचित रूप से रखे जायें,

(3) इस अधिनियम के अधीन सभी लाइसेन्स उसके हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे।

[3][**25. अपील**—इस अधिनियम के अधीन तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति जो धारा 17 के खण्ड (1) या खण्ड (2) के अधीन समिति द्वारा दिये गये आदेश से क्षुब्ध हो, ऐसे आदेश से 30 दिन के भीतर परिषद् को ऐसी रीति से जो नियत की जाये अपील प्रस्तुत कर सकता है और परिषद् अपीलार्थी तथा समिति के दोनों की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस पर निर्णय देगी।]

[4][**25-क. समितियों के अधिकारियों तथा सेवकों के सेवायोजन की शर्तें तथा निर्बन्धन**—इस अधिनियम के अधीन तदर्थ बनाये जाने वाले नियमों के अधीन रहते हुए धारा 23-क के अधीन संगठित किसी संवर्ग के सदस्यों के सेवायोजन की शर्तें तथा निर्बन्धन और ऐसे अधिकारियों के अनुशासन नियन्त्रण तथा दण्ड (जिसके अन्तर्गत पदच्युत किया जाना तथा हटाया जाना भी है) से सम्बन्धित विषय ऐसे विनियमों द्वारा जिन्हें परिषद् बनाये नियन्त्रित होंगे।]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 10, सन् 1991 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 6, सन् 1977 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. राष्ट्रपति के अधिनियम सं० 13, सन् 1973 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. राष्ट्रपति के अधिनियम सं० 13, सन् 1973 द्वारा बढ़ाया गया।

26. इस अधिनियम के अधीन काम करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण—परिषद् या समिति का प्रत्येक अधिकारी या सेवक, इण्डियन पैनल कोड, 1860 की धारा 21 के अर्थ में "पब्लिक सर्वेन्ट" (लोक-सेवक) समझा जायेगा।

अध्याय 5

बाह्य नियन्त्रण

[1][**26-क. परिषद् की स्थापना**—(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा उसके निर्दिष्ट दिनांक से राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के नाम से एक परिषद् के नाम से एक परिषद् जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा, स्थापित करेगी।

(2) परिषद् उक्त नाम से शास्वत उत्तराधिकार वाली एक नियमित निकाय होगी और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद प्रस्तुत कर सकेगी अथवा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा तथा सम्पत्ति अर्जित करेगी, धारण करेगी तथा उसका निस्तारण करेगी और संविदा करेगी।

(3) परिषद् सभी प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकरण समझी जायेगी।

26-ख. परिषद् का संगठन—(1) परिषद में [2][राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और तीन उपाध्यक्ष जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त गैर-सरकारी सदस्य होंगे] के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश [3][या सचिव की श्रेणी से अन्यून उसका नाम निदेशिती];

(ख) [4][प्रमुख सचिव, सचिव] उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग;

(ग) [5][प्रमुख सचिव, सचिव] उत्तर प्रदेश सरकार, खाद्य तथा रसद विभाग;

[6][(घ) कृषि विभाग में राज्य सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव;

(ङ) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश;

(च) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश;

(च-1) कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार;

(च-2) निदेशक, उद्यानिकी एवं फलोपयोग, उत्तर प्रदेश;

(च-3) [7][निदेशक कृषि विपणन उत्तर प्रदेश;

(च-4) उत्तर प्रदेश कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(छ) राज्य सरकार द्वारा ऐसे उत्पादकों में से जो मण्डी समितियों के सदस्यों के रूप में [8][नाम निर्दिष्ट] हों : व्यक्ति और जब तक कि ऐसे [9][नाम निर्दिष्ट] सदस्य उपलब्ध न हों, उक्त सरकार द्वारा नियुक्त कोई [छः][10] उत्पादक;

---

1. राष्ट्रपति के अधिनियम सं० 13, सन् 1973 द्वारा जोड़ा गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 40 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित (10-8-2007 से प्रभावी)
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 40 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित (10-8-2007 से प्रभावी)
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 40 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित (10-8-2007 से प्रभावी)
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 40 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित (10-8-2007 से प्रभावी)
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 40 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित (10-8-2007 से प्रभावी)
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 7 सन् 2002 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 13, सन् 2004 द्वारा प्रतिस्थापित। (25-5-2003 से प्रभावी)
9. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 13, सन् 2004 द्वारा प्रतिस्थापित। (25-5-2003 से प्रभावी)
10. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 6, सन् 1977 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ज) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो व्यक्ति जो व्यापारियों अथवा आढ़तियों में से मण्डी समिति के सदस्य के रूप में [1][नाम निर्दिष्ट] हों और जब तक कि ऐसे [2][नाम निर्दिष्ट] सदस्य उपलब्ध न हों उक्त सरकार द्वारा नियुक्त कोई दो व्यापारी अथवा आढ़ती;

(झ) मण्डी निदेशक, जो परिषद् का पदेन सचिव होगा जिसे एतद्पश्चात् इस अध्याय में सदस्य सचिव अभिदिष्ट किया गया है;

(2) [3][उपाध्यक्ष] तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति गजट में अधिसूचित की जायेगी।

(3) खण्ड (क), खण्ड (ख), खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में अभिदिष्ट सदस्य, परिषद् की किसी बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाये किसी अधिकारी को जो उपसचिव के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्त कर सकता है और (ङ) में अभिदिष्ट सदस्य इसी प्रकार किसी अधिकारी को जो अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्त कर सकता है और खण्ड (च) में अभिदिष्ट सदस्य इसी प्रकार किसी अधिकारी को जो अपर कृषि निदेशक के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्त कर सकता है, और खण्ड (च-1) में निर्दिष्ट सदस्य किसी अधिकारी को जो भारत सरकार से संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार के पद से नीचे का न हो प्रतिनियुक्त कर सकता है और खण्ड (च-2) में निर्दिष्ट सदस्य किसी अधिकारी को जो अपर निदेशक, उद्यानिकी एवं फलपयोग के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्त कर सकता है, और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को मत देने का भी अधिकारी होगा।

26-ग. [4][उपाध्यक्ष] या अन्य सदस्य होने के लिए अनर्हता—कोई व्यक्ति परिषद् या [5][उपाध्यक्ष] या अन्य सदस्य चुने जाने या होने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह—

(क) नैतिक पतन समन्वित अपराध के लिए सिद्धदोष हुआ हो;

(ख) अनुन्मुक्त दिवालिया हो,

(ग) विकृत-चित्त का हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया हो;

(घ) धारा 27-घ और 27-ङ में की गई व्यवस्था को छोड़कर परिषद् के अधीन किसी लाभ के पर हो,

(ङ) स्वयं या किसी भागीदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा परिषद् के साथ द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित रखता हो; या

(च) किसी ऐसी कम्पनी का निदशेक या सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी हो, जो परिषद् के साथ, द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित रखता हो;

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ङ) या खण्ड (च) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इस कारण से अनर्ह नहीं होगा कि उसका या उस कम्पनी का जिसका वह निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी हो;

(i) किसी स्थावर सम्पत्ति की बिक्री, क्रय, उसे पट्टे पर देने या उसके विनिमया अथवा उसके लिए किये गये किसी अनुबन्ध में;

(ii) धनराशि के ऋण के लिये किसी अनुबन्ध में या धनराशि के भुगतान के लिए किसी प्रतिभूति में;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 13, सन् 2004 द्वारा प्रतिस्थापित। (25-5-2003 से प्रभावी)
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 13, सन् 2004 द्वारा प्रतिस्थापित। (25-5-2003 से प्रभावी)
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 40 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित। (10-8-2007 से प्रभावी)
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 40 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित। (10-8-2007 से प्रभावी)
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 40 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित। (10-8-2007 से प्रभावी)

The Uttar Pradesh
Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964

MANAV LAW HOUSE

(iii) किसी ऐसे समाचार पत्र में, जिसमें परिषद् के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रकाशित हो;

(iv) परिषद् को किसी एक वर्ष में दस हजार रुपये से अनधिक मूल्य तक की किसी ऐसी वस्तु की, जिसमें वह या कम्पनी नियमित रूप में व्यापार करती हो, यदा-कदा बिक्री में, कोई अंश या हित हैं।

26-घ. [1][उपाध्यक्ष] तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल—(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् का [2][उपाध्यक्ष] तथा अन्य सदस्य जो उसके पदेन सदस्य न हो, दो वर्ष के लिए पद धारण करेंगे, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा [3][उपाध्यक्ष] या अन्य सदस्य का कार्यकाल गजट में अधिसूचना द्वारा पहले ही समाप्त न कर दिया जाये और वह पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।

(2) धारा 26-ख की उपधारा (1) के खण्ड (च-4) या खण्ड (छ) या खण्ड (ज) के अधीन नियुक्त सदस्य की परिषद् में सदस्य, यथास्थिति, वैसे कुलपति, पद पर न रह जाने पर या मण्डी समिति का निर्वाचित सदस्य न रह जाने पर समाप्त हो जायेगी।

(3) [4][उपाध्यक्ष] या कोई अन्य सदस्य जो पदेन सदस्य न हो, किसी समय राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेखा द्वारा अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

[26-ङ. [5][उपाध्यक्ष] तथा पदेन सदस्य से भिन्न अन्य सदस्य के पद के सम्बन्ध में अन्य उपबन्ध—(1) [6][उपाध्यक्ष] तथा ऐसे सदस्यों को जो पदेन सदस्य न हों, परिषद् की निधि से ऐसा पारिश्रमिक, यदि कोई हो, दिया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाये।

(2) यदि [7][उपाध्यक्ष] अथवा उपर्युक्त कोई अन्य सदस्य अशक्तता या अन्य प्रकार से अपने कृत्यों के निर्वहन में अस्थायी रूप से असमर्थ हो अथवा उन परिस्थितियों जिनमें उसका पद रिक्त होना अन्तर्ग्रस्तन हो, निम्न परिस्थितियों में अवकाश पर अन्यथा अनुपस्थित हो, तो राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन हेतु किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

26-च. अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति—(1) परिषद् अपने कृत्यों का दक्षतापू निर्वहन करने के लिए ऐसे अधिकारियों और सेवकों को ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों पर जिनकी व्यवस्था परिषद् द्वारा बनाये जाने वाले विनियमों में की जाये नियुक्त कर सकती है।

(2) परिषद् राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी सेवक को ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर जिन्हं वह उचित समझे परिषद् या किसी समिति का अधिकारी या सेवक नियुक्त कर सकती है।

26-छ. निदेशक द्वारा पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण—परिषद् के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, परिषद् के समस्त अधिकारियों और सेवकों पर सामान्य नियन्त्रण तथा उनको निर्देश देना निदेशक में निहित होगा।

26-ज. परिषद् के आदेशों तथा अन्य संलेखों का प्रमाणीकरण—परिषद् की सभी कार्यवाहियों अध्यक्ष या सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से प्रमाणीकृत की जायेगी और परिषद् द्वारा जारी किये गये सभी आदेश

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 40 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित। (10-8-2007 से प्रभावी)
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 40 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित। (10-8-2007 से प्रभावी)
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 40 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित। (10-8-2007 से प्रभावी)
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 40 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित। (10-8-2007 से प्रभावी)
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 40 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित। (10-8-2007 से प्रभावी)
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 40 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित। (10-8-2007 से प्रभावी)
7. उ० प्र० अधिनियम सं० 40 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित (10-8-2007 से प्रभावी)

तथा अन्य संलेख निदेशक या परिषद् के ऐसे अन्य अधिकारी के जिसे विनियमों द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाये, हस्ताक्षर किया जाये, हस्ताक्षर से प्रमाणीकृत किये जायेंगे।

26-झ. शक्तियों का प्रतिनिधान—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये परिषद् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्त अथवा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो आदेश में निर्दिष्ट की जाये, अपने द्वारा नियुक्त किसी उपसमिति या [1][निदेशक या] सदस्य सचिव अथवा परिषद् के किसी अन्य अधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियाँ तथा कर्तव्यों को प्रतिनिहित कर सकती हैं, जिन्हें वह उचित समझे।

26-ञ. हित होने के कारण कार्यवाहियों में भाग लेने से अनर्हता—(1) परिषद् या उसके द्वारा नियुक्त किसी उप-समिति का [2][उपाध्यक्ष] या कोई अन्य सदस्य—

(क) जिसका किसी मामले के सम्बन्ध में धारा 26-ग के खण्ड (ङ) या खण्ड (च) में वर्णित प्रकार का कोई अंश या हित हो, या

(ख) जिसमें किसी मामले के सम्बन्ध में, किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से जिसका उस मामले से पूर्वांकित प्रकार का कोई अंश या हित हो, वृत्तिक रूप से काम किया हो, धारा 26-ग प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, ऐसे मामले के सम्बन्ध में परिषद् या समिति की किसी कार्यवाही में न हो मत देगा और न भाग लेगा।

(2) यदि परिषद् या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति के किसी सदस्य का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव हो कोई हित हो, तो वह परिषद् की उप-समिति की किसी ऐसी बैठक में भाग नहीं लेगा जिसमें ऐसी भूमि से सम्बद्ध किसी मामले पर विचार किया जाये।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) की कोई बात परिषद् या उपसमिति के किसी सदस्य को उक्त उपखण्डों में अभिदिष्ट विषय से भिन्न किसी अन्य विषय से सम्बद्ध किसी संकल्प या प्रश्न पर मत देने या उसको चर्चा में भाग लेने से निषिद्ध नहीं करेगी।

26-ट. अनौपचारिकता रिक्त आदि के कारण किये गये कार्य अवधिमान्य नहीं होंगे—(क) परिषद् या उपसमिति में कोई रिक्ति या उसके संगठन में कोई त्रुटि होने या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति में जो उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने, या

(ग) किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही में, जिसका मूल तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने, के कारण अविधिमान्य न होगी।

26-ठ. परिषद् की शक्तियाँ तथा कृत्य—(1) परिषद् के इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित कृत्य होंगे और उसे ऐसा कोई कार्य करने की शक्ति होगी जो उन कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अथवा इष्टकर हो—

(i) मण्डी समितियों के कार्य संचालन तथा उनके कार्य-कलापों, जिनके अन्तर्गत ऐसी समितियों द्वारा [3][नये मण्डी स्थलों के निर्माण,] वर्तमान मण्डियों तथा मण्डी क्षेत्रों के विकास] के लिये व्यवसायी कार्यक्रम भी हैं, तथा पर्यवेक्षण और नियन्त्रण;

(ii) समितियों को सामन्य रूप से अथवा किसी समिति को विशेषतः उसकी दक्षता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य में निदेश देना;

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 6 सन् 1977 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 40 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित। (10-8-2007 से प्रभावी)
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 6 सन् 1977 द्वारा प्रतिस्थापित।

(iii) कोई अन्य कृत्य जो उसे अधिनियम द्वारा सौंपे जायें;

(iv) ऐसे अन्य कृत्य जो राज्य सरकार द्वारा, गजट में अधिसूचना द्वारा परिषद् को सौंपे जायें।

(2) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी शक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्ति भी होगी—

(i) मण्डियों के विकास के लिये समितियों द्वारा चुने गये स्थलों के प्रस्तावों का अनुमोदन करना।

(ii) स्थल नक्शों और समिति द्वारा व्यवस्थित निर्माण कार्यक्रमों के तख़मीने तैयार करने में समितियों का पर्यवेक्षण तथा पथ प्रदर्शन करना।

(iii) परिषद् की निधि पर समस्त निर्माण कार्यों को निष्पादित करना।

(iv) ऐसे प्रपत्रों में जो नियत किये जायें, लेखे रखना और उनकी लेखा परीक्षा ऐसी रीति से जैसी परिषद् के विनियमों में निर्धारित की जाये, करना।

(v) वर्ष की समाप्ति पर अपनी प्रगति रिपोर्ट, पक्का चिट्ठा तथा आस्तियों और दायित्वों का विवरण-पत्र प्रति वर्ष प्रकाशित करना और उनकी प्रतियां परिषद् के प्रत्येक सदस्य यथा सभी मण्डी समितियों के सभापतियों को भेजना।

(vi) कृषि उत्पादन के विनियमित क्रय-विक्रय से सम्बद्ध विषयों का प्रचार तथा विज्ञापन करने के लिये आवश्यक प्रबन्ध करना।

(vii) मण्डी समितियों के अधिकारियों तथा सेवकों के प्रशिक्षण के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करना।

(viii) आगामी वर्ष का बजट तैयार करना और अंगीकृत करना।

(ix) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों पर जैसा परिषद् अवधारित करें, मण्डी समितियों को वित्तीय सहायता [1][और उधार] देना।

(x) ऐसे सभी अन्य कार्य करना जो मण्डी समितियों के सामान्य हित में अथवा परिषद् के दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिये आवश्यक समझे जायें अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किये जायें।

26-ङ. नीति विषयक प्रश्नों पर निदेश—(1) अपने कर्तव्यों का पालन करने में परिषद् नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों द्वारा पथ प्रदर्शित होगी जो उसे राज्य सरकार द्वारा दिये जायें।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई विषय ऐसा विषय है या नहीं जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निदेश जारी कर सकती है जो राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

26-ढ. वार्षिक प्रतिवेदन, आंकड़े विवरणियां तथा अन्य सूचना—परिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र ऐसे दिनांक से पूर्व और ऐसे प्रपत्र में, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, एक प्रतिवेदन जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने कार्य-कलापों का लेखा दिया जायेगा, तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी और प्रतिवेदन ऐसे कार्य कलापों का भी यदि कोई हो, यदि लेखा दिया जायेगा जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में परिषद् द्वारा व्यवसित करने की सम्भावना हो और राज्य सरकार प्रत्येक ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त उसे यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगा।

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 6 सन् 1977 द्वारा अन्तःस्थापित।

(2) परिषद् राज्य सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी रीति से जैसी राज्य सरकार निदेश दे, ऐसे आंकड़े तथा विवरणियाँ और परिषद् के किसी प्रस्तावित या वर्तमान कार्य-कलापों अथवा परिषद् के नियन्त्रणाधीन किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में ऐसे ब्यौरे, जिसकी राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगी।

26-ण. संविदा आदि का निष्पादन तथा रजिस्ट्रीकरण—परिषद् की ओर से प्रत्येक संविदा अथवा सम्पत्ति हस्तान्तरण-पत्र लिखित रूप में होगा तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से, जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाये, निष्पादित किया जायेगा।

[1][**26-त. परिषद् की निधि**—(1) परिषद् की एक अपनी निधि होगी, जो स्थानीय निधि समझी जाएगी और जिसमें परिषद् द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त धारा 26-तत के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि में जमा की जाने वाली धनराशि को छोड़कर, समस्त धनराशि जमा की जाएगी।

(2) विशेष रूप से और विनियोजन और निस्तारण के प्रयोजन और रीति से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विधि का उपयोग परिषद् द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये किया जाएगा, अर्थात्—

(1) परिषद् द्वारा नियोजित अधिकारियों और सेवकों को वेतन, छुट्टी भत्ता, आनुतोषिक, अन्य भत्तों; ऋण और अग्रिम और भविष्य निधि और उन सरकारी सेवकों को, जो प्रतिनियुक्त पर हों, पेन्शन और अन्य अंशदान का भुगतान;

(2) परिषद् के [2][उपाध्यक्ष और सदस्यों] को यात्रा और अन्य भत्तों का भुगतान;

(3) परिषद् के अधिष्ठान से सम्बन्धित अन्य प्रयोजनों या सामान्यतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए।"

[**26-तत. उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि**—(1) परिषद् के लिये एक निधि की स्थापना, की जायेगी, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि कहा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात्—

(क) धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन समितियों से प्राप्त समस्त अंशदान उसके उतने प्रतिशत को छोड़कर जितने राज्य सरकार परिषद् की निधि में जमा करने के लिये निर्देश दे;

(ख) ऐसे अन्य धनराशि जिसे राज्य सरकार या परिषद् निदेश दें।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित निधि का उपयोग, अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, अर्थात्—

(i) मण्डी क्षेत्र में कृषकों, अन्य उत्पादकों और मण्डी शुल्क देने वालों की सुविधायें।

(ii) मण्डी क्षेत्र में प्रधान मण्डी स्थल, उप-मण्डी स्थल, हाट और पैठ का विकास और नवीन मण्डी स्थलों का निर्माण;

(iii) मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों, मण्डी की गलियों और अन्य विकास कार्यों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत।

(iv) निर्दिष्ट कृषि उत्पादन का मण्डी सर्वेक्षण और अनुसंधान वर्गीकरण और मानकीकरण।

(v) प्रचार, प्रख्यापन और विस्तार सेवा और निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय और विक्रय की स्थिति में सामान्य सुधार से सम्बन्धित विषय।

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 10 सन् 1991 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 40 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित। (10-8-2007 से प्रभावी)

(vi) वित्तीय रूप से कमजोर और अल्प विकसित समितियों का ऋण और अनुदान के रूप में सहायता।

(vii) परिषद् के कर्तव्यों का पालन करने के लिए भवन या भूमि का अर्जन या निर्माण या पट्टे पर या अन्यथा लेना।

(viii) मण्डी क्षेत्रों का बेहतर विकास और मण्डी समितियों का नियन्त्रण।

(ix) बैठक और विधिक मामलों पर व्यय।

(x) राज्य में मण्डी समितियों के अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण।

(xi) प्रधान मण्डी स्थलों और उप-मण्डी स्थलों और मण्डी क्षेत्रों के विकास के लिए स्थल नक्शा और निर्माण प्राक्कलन तैयार करने में और महायोजन की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में मण्डी समितियों को तकनीकी सहायता।

(xii) परिषद् और मण्डी समितियों की आन्तरिक लेखा परीक्षा।

(xiii) धारा 16, 19 और 19-ख में निर्दिष्ट ऐसे विषय जो पूर्ववर्ती खण्डों के अन्तर्गत न आते हों।

(xiv) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने या निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय-विक्रय को सामान्य रूप से विनियमित करने के लिए कोई अन्य प्रयोजन।"

[1][**26-ततत.**—(1) एक निधि स्थापित की जायेगी जिसे 'केन्द्रीय मण्डी निधि' कहा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात्—

(क) धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन परिषद् को दी गई समस्त धनराशि;

(ख) ऐसी अन्य धनराशि जिसे राज्य सरकार या परिषद् निर्देश दे।

(2) केन्द्रीय मण्डी निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, अर्थात्—

(क) वित्तीय रूप से कमजोर और अविकसित समितियों को ऋण या अनुदान के रूप में सहायता;

(ख) मण्डी क्षेत्र में मण्डी स्थल, सम्पर्क सड़क, पुलिया और अन्य विकास कार्यों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत;

(ग) विकास कार्यों के लिए समितियों को अनुदान या ऋण;

(घ) ऐसे अन्य प्रयोजन जैसे राज्य सरकार या परिषद् द्वारा, ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाये, निर्देशित किये जायें।"

26-थ. ऐसे व्यय पर निर्बन्धन जिसकी व्यवस्था पहले से बजट में न हो—उस दशा को छोड़कर, जब परिषद् की राय में अत्यधिक आवश्यक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जायें किसी वित्तीय वर्ष में कोई भी धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा आवर्तक अथवा अनावर्तक व्यय के लेखे में समय-समय पर तदर्थ निश्चित की गई धनराशि से अधिक हो परिषद् द्वारा तब तक व्यय नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसी धनराशि 26-ब के अधीन प्रस्तुत विवरण-पत्र में सम्मिलित न कर ली गई हो।

(2) यदि अत्यधिक आवश्यक परिस्थितियों में कोई ऐसी धनराशि व्यय की जाये तो उसके सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन जिसमें ऐसा व्यय पूरा करने के प्रस्तावित साधनों को निर्दिष्ट किया गया हो; राज्य सरकार को यथासम्भव शीघ्रता से भेजा जाएगा।

26-द. परिषद् को वित्तीय सहायता—राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल के यथोचित वित्तीय विनियोजन के पश्चात् समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों पर, जिन्हें राज्य सरकार अवधारित करें, दे सकती है।

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 4 सन् 1999 द्वारा बढ़ाया गया। (15-8-1998 से प्रभावी)

26-ध. परिषद् को ऋण—राज्य सरकार, समय-समय पर, परिषद् को ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों पर जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, जिन्हें राज्य सरकार अवधारित करें ऋण दे सकती है।

26-न. परिषद् को उधार लेने की शक्ति—(1) परिषद् समय-समय पर, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से और इस अधिनियम के उपबन्धों और ऐसी शर्तों, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे, के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित धनराशि, या तो बन्धपत्र या निधिपत्र जारी करके अथवा अन्य प्रकार से या बैंक-कारों से प्रबन्ध करके उधार ले सकती है।

(2) परिषद् राज्य सरकार से प्राप्त ऋणों की धनराशि के अतिरिक्त किसी भी समय उपधारा (1) के अधीन कोई ऐसी धनराशि ऋण पर नहीं लेगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर तदर्थ निश्चित धनराशि से अधिक हो।

(3) परिषद् द्वारा इस धारा के अधीन जारी किया गया निधिपत्र ऐसी रीति से जारी या अन्तरित किया जायेगा अथवा उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी या उसे मोचित किया जायेगा, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे।

26-प. परिषद् के दायित्वों की प्राथमिकता—परिषद् के राजस्व का उपयोग उसके व्ययों को पूरा कर लेने के पश्चात् जहाँ तक उपलब्ध हों, निम्नलिखित क्रम से किया जायेगा—

(i) बन्ध-पत्र जिनकी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति न दी गई हो, मूलधन और उनके ब्याज का प्रतिदान करना;

(ii) निधि-पत्र जिनकी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति न दी गई हो, के मूलधन और उनके ब्याज का प्रतिदान करना;

(iii) बन्ध-पत्र, जिनकी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति दी गई हो, के मूलधन तथा उनके ब्याज का प्रतिदान करना;

(iv) निधि-पत्र जो इस प्रकार प्रत्याभूति हो, के मूलधन तथा उनके ब्याज का प्रतिदान करना;

(v) राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति, यदि कोई हो, के अधीन दी गई धनराशियों के मूलधन तथा उनके ब्याज का प्रतिदान करना;

(vi) राज्य सरकार द्वारा परिषद् को दिये गये ऋण के मूलधन और उस पर ब्याज का जिसके अन्तर्गत ब्याज की बकाया भी है, प्रतिदान करना।

26-फ. लेखे और लेखा परीक्षा—(1) परिषद् के वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्य-कलापों के कार्यक्रम का यथास्थिति, एक विवरण-पत्र अथवा अनुपूरक विवरण-पत्र तथा उसके सम्बन्ध में एक वित्तीय तख़मीना उस वर्ष के प्रारम्भ होने के पूर्व तैयार करेगी तथा उसके दौरान किसी समय तैयार कर सकती है और उन्हें सरकार को ऐसी रीति से तथा ऐसे दिनांक तक जैसी वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे, उसके पूर्वानुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी।

(2) परिषद् उचित लेखाबही और अपने लेखों के सम्बन्ध में अन्य बहियां रखवायेगी और वार्षिक पक्का चिट्ठा तैयार करेगी।

(3) परिषद् के लेखों की लेखा परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा की जायेगी, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे और इस प्रकार नियुक्त लेखा परीक्षक को सभी विषयों के सम्बन्ध में लेख्यों को प्रस्तुत किये जाने और सूचना दिये जाने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी।

(4) लेखा परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित परिषद् के लेखे और उसके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिवर्ष राज्य सरकार को भेजे जायेंगे जो उनके सम्बन्ध में परिषद् को ऐसे निर्देश जारी कर सकती है; जो वह उचित समझे, और परिषद् ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।

(5) राज्य सरकार—

(क) उपधारा (4) के अधीन उसे प्राप्त परिषद् के लेखे, उनके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित, प्रतिवर्ष राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य के समक्ष रखवायेगा, और

(ख) परिषद् के लेखे को ऐसी रीति से प्रकाशित करायेगी जैसा वह उचित समझे।

26-ब. अधिभार—(1) परिषद् के [1][अध्यक्ष, उपाध्यक्ष] तथा अन्य सदस्य, अधिकारी और सेवक परिषद् की किसी धनराशि या अधिभार सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिये अधिभार के दायी होंगे, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग ऐसे [2][अध्यक्ष, उपाध्यक्ष] या अन्य सदस्य, अधिकारी या सेवक के रूप में इस प्रकार कार्य करते हुये उसकी प्रत्यक्ष अपेक्षा या दुराचार का सीधा परिणाम हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाये।

(3) कोई धनराशि जो ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग में अधिभार की प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप अन्तर्ग्रस्त पाई जाये भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी, और ऐसी धनराशि की वसूली के लिये किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद संस्थित नहीं किया जा सकेगा।

(4) परिषद् की उपधारा (3) की कोई बात उसमें अभिदिष्ट धनराशि को ऐसे [3][अध्यक्ष, उपाध्यक्ष] या अन्य सदस्य, अधिकारी या सेवक को पारिश्रमिक के मद में या अन्य प्रकार से परिषद् द्वारा देय किसी धनराशि में से निषिद्ध न करेगी।

26-भ. विनियम—(1) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से परिषद् के कार्य-कलापों के प्रशासन के लिए ऐसे विनियम बना सकती है जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों से असंगत न हों।

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) परिषद् की बैठकें बुलाना और करना, समय और स्थान जहाँ पर ऐसी बैठकें की जायें। ऐसी बैठकों में कार्यसंचालन और बैठकों की गणपूर्ति के लिये व्यक्तियों की आवश्यक संख्या।

(ख) परिषद् के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की शक्ति और कर्तव्य;

(ग) परिषद् के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों और धारा 23 की उपधारा (2) में अभिदिष्ट अधिकारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें,

(घ) परिषद् की सम्पत्ति का प्रबन्ध;

(ङ) परिषद् की ओर से संविदा और सम्पत्ति सम्बन्धी हस्तांतरण पत्रों का निष्पादन,

(च) परिषद् द्वारा लेखों का रखना और पक्का चिट्ठा तैयार किया जाना;

(छ) इस अधिनियम के अधीन परिषद् के कृत्यों का निर्वहन करने की प्रक्रिया;

(ज) कोई अन्य विषय जिसके लिये विनियमों में व्यवस्था की हो या की जा सके।

(3) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन परिषद् द्वारा कोई विनियम न बनाये जायें, कोई विनिमय जो इस प्रकार उसके द्वारा बनाया जा सकता हो राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है, और इस प्रकार बनाये गये किन्हीं विनियमों में परिषद् उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके परिवर्तन कर सकती है उन्हें विखंडित कर सकती है।

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 40 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित। (10-8-2007 से प्रभावी)
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 40 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित। (10-8-2007 से प्रभावी)
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 40 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित। (10-8-2007 से प्रभावी)

27. निदेशक के कर्तव्य और अधिकार—[1][(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति उनके सभापति, उप-सभापति और अन्य सदस्यों, धारा 23 की उपधारा (2) में अभिदिष्ट उसके सचिव और अन्य अधिकारियों को निदेश देना अथवा उन पर नियन्त्रण रखना परिषद् में निहित होगा।]

(2) परिषद् या निदेशक, समिति के मामलों के सम्बद्ध सभी लेख्यों या अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है या करवा सकता है और समिति उसके सभापति, उपसभापति, सदस्यों, अधिकारियों या सेवकों से ऐसी सूचना या सामग्री देने की अपेक्षा कर सकता है जो वह आवश्यक समझे।

(3) समिति के मामलों से सम्बद्ध किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर राज्य सरकार निदेशक से समिति, उसके सभापति, उपसभापति, सदस्य सचिव या अधिकारी के विरुद्ध जाँच करने या कार्यवाही प्रारम्भ करने की अपेक्षा कर सकती है और निदेशक तद्नुसार कार्य करेगा।

(4) निदेशक को इस अधिनियम के अधीन कोई जाँच करने के प्रयोजन के लिये वही अधिकार प्राप्त होंगे जो किसी वाद पर विचार करते समय निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 के अधीन किसी दीवानी न्यायालय से निहित है, अर्थात्—

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ पर उसका बयान लेना;

(ख) लेख्य प्रकट करने और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना; और

(ग) कोई अन्य विषय जो नियत किये जायें।

28 से 30. [2][* * *]

31. समिति द्वारा पारित संकल्प या दी गई आज्ञा के निष्पादन या आगे निष्पादन का निषेध करने का राज्य सरकार का अधिकार.—(1) परिषद् स्वतः या कोई रिपोर्ट अथवा शिकायत प्राप्त होने पर; समिति या उसके सभापति या किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित संकल्प या दी गई आज्ञा के निष्पादन या आगे का आदेश द्वारा निषेध कर सकती है, यदि उसकी यह राय हो कि वह संकल्प या आज्ञा लोकहित के प्रतिकूल है अथवा उससे किसी मण्डी क्षेत्र प्रधान मण्डी स्थल या उपमण्डी स्थल में कारोबार के दक्षतापूर्वक चलाने में बाधा पड़ने की सम्भावना है अथवा यह इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये नियमों या उपविधियों के विरुद्ध है।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश द्वारा किसी संकल्प या आज्ञा का निष्पादन या आगे निष्पादन निषिद्ध किया जाये और वह आदेश प्रचलित हो तो परिषद् द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह कोई ऐसी कार्यवाही करे जिसे करने का अधिकार समिति को संकल्प न पारित किये जाने या आज्ञा न दिये जाने की दशा में होता और जो सभापति या उसके किसी अधिकारी कर्मचारी को ऐसे संकल्प या आज्ञा के अधीन किसी काम को करने या उसके जारी रखने को रोकने के लिए आवश्यक हो।

32. समिति की कार्यवाहियाँ मंगाने और उन पर आज्ञा देने का परिषद् के अधिकार.—परिषद् किसी भी समय समिति द्वारा दिये गये किसी निर्णयति आज्ञा की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजन से समितियों की कार्यवाहियाँ मंगा सकती है और यदि उसकी यह राय हो कि समिति का निर्णय या उसकी आज्ञा परिष्कृति या रद्द होनी चाहिये या उल्टी जानी चाहिए तो परिषद् उस पर ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे।

[3][**33. परिषद् शक्तियों का प्रत्यायोजन.**—परिषद्, नियमों द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाये अपनी कोई शक्ति निदेशक को प्रतिनिहित कर सकती है।

1. राष्ट्रपति के अधिनियम सं० 13 सन् 1973 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. धारा 28 से 30 उ० प्र० अधिनियम सं० 13 सन् 2004 द्वारा निकाल दिया गया(24.5.2003) से प्रभावी।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 10, सन् 1991 द्वारा प्रतिस्थापित (01.09.1990 से प्रभावी।)

33-क. मण्डी समितियों के कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशक को शक्तियाँ.—(1) जहाँ निदेशक का, उसको की गई किसी शिकायत पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाये कि किसी मण्डी समिति में इस अधिनियम के द्वारा या अधीन आरोपित किसी कर्तव्य का पालन नहीं किया है, वहाँ वह उस समिति से ऐसे कर्तव्य का पालन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) यदि ऐसे कर्तव्य का पालन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न किया जाये तो निदेशक उसे करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते है, और यह निदेश दे सकता है कि ऐसे पालन में उपगत व्यय का जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त पारिश्रमिक भी है, भुगतान समिति द्वारा तुरन्त किया जायेगा।

(3) यदि ऐसे व्यय का भुगतान इस प्रकार न किया जाये तो निदेशक परिषद से भुगतान की अपेक्षा करेगा और परिषद् इस प्रकार भुगतान की गई धनराशि को समिति से वसूल करने की हक़दार होगी।

33-ख. राज्य सरकार की शक्तियाँ.—(1) राज्य सरकार, अपना यह समाधान करने की दृष्टि से कि परिषद् या समिति इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपनी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का समुचित रूप से प्रयोग या निर्वहन करती है, आयुक्त या कलेक्टर या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों ऐसी रीति से जैसी नियत की जाये, परिषद् या समिति की किसी सम्पत्ति, कार्यालय दस्तावेज या किसी कार्य का निरीक्षण कराने या करने या परिषद् या समिति के सभी या किसी कार्य-कलाप की जाँच करने या कराने और ऐसी जाँच के परिणाम की रिपोर्ट ऐसी अवधि के भीतर जैसी विनिर्दिष्ट की जाये, देने की अपेक्षा कर सकती है।

(2) यथास्थिति परिषद् या समिति ऐसे आयुक्त या कलेक्टर या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को निरीक्षण के दौरान और समुचित रूप से जाँच करने के लिए सभी सुविधाएँ देंगी और यथास्थिति, ऐसे निरीक्षण या जाँच के प्रयोजनों के लिए जब किसी ऐसे दस्तावेज या सूचना की मांग की जाये जो उसके कब्जे में हों, तब उसे प्रस्तुत करेगी।]

[1][**33-ग. निजी मण्डी स्थल के लिए लाइसेंस प्रदान/नवीकरण किया जाना.**—(1) कोई व्यक्ति जो धारा 7घ के अधीन निजी मण्डी स्थल स्थापित करना चाहता हो, निदेशक, कृषि विपणन या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को यथास्थिति ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि जो तीन वर्ष से कम न हो, जैसा कि विहित किया जाए, के लिए लाइसेन्स प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन करेगा।

(2) निजी मण्डी स्थल के लिए यथास्थिति लाइसेंस प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन पत्र के साथ यथाविहित युक्तियुक्त लाइसेन्स शुल्क और प्रतिभूति/बैंक प्रत्याभूति संलग्न होंगे।

(3) लाइसेन्स प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन पत्र लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित कारणों से स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन प्राप्त आवेदन पत्र पर निम्नलिखित शर्त (शर्तों) पर अस्वीकृत किये जाने योग्य होगा—

(क) यह कि आवेदक अवयस्क है, जो अभिरक्षक के अधीन नहीं है या वास्तविक नहीं है;

(ख) यह कि आवेदक उक्त अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली और उपविधियों के अधीन व्यतिक्रमी घोषित कर दिया गया है;

(ग) यह कि मण्डी समिति और/या परिषद और/या विभाग/कृषि विपणन निदेशालय से सम्बन्धित कोई देय आवेदक के विरुद्ध अवशिष्ट नहीं है;

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 24, सन् 2018 द्वारा बढ़ाया गया।

(घ) यह कि, सम्बन्धित प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि आवेदक किसी निजी मण्डी स्थल की स्थापना के लिए विनिधान या किन्हीं अन्य अपेक्षाओं, जैसा कि विहित किया जाय, के लिए अवसंरचना, प्रत्यय पत्र, अनुभव या पर्याप्त पूँजी धारित नहीं करता है; और /या

(ङ) ऐसे कोई अन्य कारण जो विहित किये जायें।

(4) इस धारा के अधीन स्वीकृत या नवीकृत लाइसेंस यथाविहित निबंधन और शर्तों के अध्यधीन होगा, और लाइसेन्सधारी, लाइसेन्स की यथाविहित निबन्धन और शर्तों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा। लाइसेन्सधारी को इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों का भी अनुपालन करना होगा।

33-घ. धारा 33-ग के अधीन स्वीकृत/नवीकृत लाइसेन्स का निलम्बन या रद्दीकरण—(1) 33-ग के उपबन्धों के अध्यधीन, लाइसेन्स प्राधिकारी, यथास्थिति,, लाइसेस को निलम्बित कर सकता है अथवा लाइसेन्सधारक को लिखित रूप में संसूचित किये जाने वाले कारणों से और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करके उसे उद्द कर सकता है, यदि,

(क) लाइसेन्स जानबूझकर दुर्व्यपदेशन या कपट के माध्यम से प्राप्त किया गया हो, और/या

(ख) लाइसेन्सधारक या उसका प्रतिनिधि या उसकी ओर से उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति किसी नियमावली, विनियमावली और लाइसेन्स के निबन्धन या शर्तों का उल्लंघन करता है, और/या

(ग) लाइसेन्सधारक स्वयं या अन्य लाइसेन्सधारक के साथ मिलकर अधिसूचित कृषि उत्पाद के विपणन में जानबूझकर व्यवधान डालने, उसे निलम्बित रखने या रोकने के आशय से मण्डी क्षेत्र में कोई कारित करता है या अपने सामान्य कारबार करने से प्रविरत रहता है, और/ या

(घ) लाइसेन्सधारक दिवालिया हो गया हो, और/या

(ङ) लाइसेन्सधारक ऐसी कोई अनर्हता करता है, जैसा कि विहित किया जाय, और/या

(च) लाइसेन्सधारक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष हो।

(2) कोई लाइसेन्स इस धारा के अधीन उसके धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना रद्द नहीं किया जायेगा।

(3) धारा 33-घ के उपबन्धों के अध्यधीन, लाइसेन्स प्राधिकारी आख्यापक आदेश द्वारा लाइसेन्सधारक की धारा 33-ग के अधीन प्रदान किये गये या नवीकृत किये गये उसके लाइसेन्स को रद्द करने के लिए संसूचित करेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेन्स प्राधिकारी के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति राज्य सरकार जो यथाविहित रीति से अपील कर सकता है।

33-ङ. (1) सीधे विपणन के लिए लाइसेन्स प्रदान किया जाना/उसका नवीकरण किया जाना—(1) धारा 7-ख के अधीन कृषक सहकारी, कृषक-उत्पादक संगठन और प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता सहित कोई व्यक्ति प्रधान मण्डी स्थल उपमण्डी स्थल, मण्डी उप-स्थल निजी मण्डी स्थल के बाहर सीधे कृषकों से कृषि उत्पाद क्रय करना चाहता हो, तो वह निर्देशक, कृषि विपणन को यथास्थिति लाइसेन्स प्रदान किये जाने अथवा उसका नवीकरण किये जाने के लिए ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भी लिए, जैसा कि विहित किया जाय, आवेदन करेगा।

(2) सीधे विपणन के लिए आवेदन पत्र के साथ ऐसा युक्तियुक्त लाइसेन्स शुल्क और प्रतिभूति/ बैंक प्रत्याभूति, जैसाकि विहित किया जाय, संलग्न किया जायेगा।

(3) लाइसेन्स प्रदान किये जाने अथवा उसका नवीकरण किये जाने के लिए धारा 33-ङ के अधीन प्राप्त आवेदन-पत्र धारा 33-ग(3) में यथावश्यक परिवर्तन सहित अन्तर्विष्ट कारण और रीति से स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है।

(4) इस धारा के अधीन प्रदान किया गया या नवीकृत किया गया कोई सीधा विपणन लाइसेंस ऐसे निबन्धन एवं शर्तों के अध्यधीन होगा, जैसा कि विहित किया जाय, और लाइसेन्सधारी के लिए यथाविहित निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा। लाइसेन्सधारी को इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों का भी अनुपालन करना होगा।

33-च. सीधे विपणन लाइसेंस का निलम्बन या रद्दकरण किया जाना.—धारा 7-ख के उपबंधों के अध्यधीन, लाइसेन्स प्राधिकारी, जिसने लाइसेन्स जारी किया हो, धारा-घ में यथावश्यक परिवर्तन सहित कारण और रीति से धारा 33-ङ के अधीन प्रदान किये गये/नवीकृत किये गये लाइसेन्सों को निलम्बित या रद्द कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेंन्स प्राधिकारी के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति राज्य सरकार को यथाविहित रीति से अपील कर सकता है।]

अध्याय 6
विविध

34. समिति के विरुद्ध वाद.—(1) किसी समिति उसके सभापति उप-सभापति या उसके सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरुद्ध उसके द्वारा अपने आधिकारिक रूप से किये गये या किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में तब तक कोई वाद प्रस्तुत न किया जायेगा जब तक एक लिखित नोटिस के, जिसमें वाद-कारण और वादी का नाम तथा निवास स्थान और प्रार्थित अनुतोष का उल्लेख हो तामील किये जाने के दिनांक से दो माह न व्यतीत हो गये हों (2) उपधारा (1) के अधीन नोटिस—

(1) यह वह समिति लिये हो तो काम के लिए किसी भी दिन उसके कार्यालय में दिया जायेगा या उसके सभापति, उप-सभापति अथवा सचिव को दे दिया जायेगा रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जायेगा, और

(2) प्रत्येक अन्य दशा में सम्बद्ध व्यक्ति को दिया जायेगा या रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जायेगा।

(3) उपधारा (1) में उल्लिखित कोई वाद-कारण उत्पन्न होने के छः महीने के पश्चात् प्रारम्भ न किया जायेगा तब तक वह अचल सम्पत्ति की प्राप्ति या उसके आगम की घोषणा लिये न हो।

(4) उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ न लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे वाद पर ऐसे प्रवृत्त होती है जिसमें प्रार्थित अनुतोष केवल व्यादेश (injunction) हो जिसका उद्देश्य नोटिस दिये जाने से वाद अथवा कार्यवाही का प्रारम्भ स्थगित किये जाने से विफल हो जायेगा।

[1][**35. मालगुजारी के रूप में देयों की वसूली.**—परिषद् या किसी समिति द्वारा राज्य सरकार को, या किसी समिति द्वारा परिषद् को, या किसी समिति द्वारा किसी अन्य समिति को, देय कोई भी धनराशि मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल की जा सकती है।

36. प्रवेश करने, तलाशी लेने और अभिग्रहण करने का अधिकार.—(1) मण्डी समिति का सचिव या राज्य सरकार या परिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी—

(क) इस अधिनियम के अधीन मण्डी समिति को आरोपित किन्हीं भी कर्तव्यों का पालन करने के लिए किसी भी उचित समय पर कृषि उत्पादन के क्रय और विक्रय से सम्बन्धित सभी लेखा बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है और किसी ऐसे दुकान, गोदाम, कारखाना या अन्य स्थान में प्रवेश कर सकता है। जहाँ पर ऐसी लेखा-बही या रजिस्टर अन्य दस्तावेज या ऐसा माल रखा जाता हो और ऐसी लेखाबही, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों से ऐसी प्रतिलिपियाँ या उद्धहरण जो आवश्यक समझे जायें ले सकता है या लिवा सकता है।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 6, सन् 1977 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) किसी लेखा-बही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज का कारणों को अभिलिखित करते हुए अभिग्रहण कर सकता है और ऐसी लेखा बही, रजिस्ट्रार और अन्य दस्तावेजों की तालिका को तैयार कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी तालिका की एक प्रति ऐसी लेखाबही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज के प्रभावी व्यक्ति को दी जायेगी;

(ग) किसी ऐसे कृति उत्पादन को अभिग्रहीत कर सकता है जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है;

(घ) किसी ऐसी गाड़ी या पशु को अभिग्रहीत कर सकता है जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह ऐसे कृषि उत्पादन को ले जाने के लिए प्रयोग में है या प्रयोग में रहा है और उसे उतने समय तक विरुद्ध कर सकता है, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या अभियोजन के सम्बन्ध में आवश्यक हो;

प्रतिबन्ध है कि कृषि उत्पादन, गाड़ी या पशु को अभिग्रहीत करने वाला व्यक्ति अभिग्रहण की रिपोर्ट तुरन्त उस रजिस्ट्रार को देगा जिसका इस अधिनियम के अधीन अपराध पर विचारण करने का क्षेत्राधिकार हो और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 457, 458 और 459 के उपबन्ध यथाशक्य उपर्युक्त अभिग्रहीत कृषि उत्पादन गाड़ी या पशु के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अभिग्रहीत सम्पत्ति पर लागू होते हैं;

अग्रसर प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे कृषि उत्पादन, गाड़ी या पशु को अभिग्रहीत करने के आधार की संसूचना उस व्यक्ति को जिसके पास से वह अभिग्रहीत किया गया हो और उस मजिस्ट्रेट को, जिसका इस अधिनियम के अधीन अपराधों पर विचारण करने का क्षेत्राधिकार हो अभिग्रहण किये जाने के चौबीस घण्टे के भीतर लिखित रूप में दी जायेगी।

(2) तलाशी लेने और उपबन्ध, यथाशक्य, इस धारा के अधीन की गई तलाशी और अभिग्रहण पर लागू होंगे।]

[1][**37. शास्ति.**—(1) कोई व्यक्ति जो धारा 9 या धारा 10 के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करना, सिद्धदोष होने पर—

(क) प्रथम अपराध के लिए जुर्माना से जो [2][पचास हजार रुपये] तक हो सकता है;

(ख) उसी प्रकार के द्वितीय और किसी अनुवर्ती अपराध के लिए कारावास के दण्ड से जो एक वर्ष तक हो सकता है, या जुर्माना से जो [3][एक लाख रुपये] तक हो सकता है या दोनों में से और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में अग्रेतर जुर्माना से जो दूसरी दोषसिद्ध या किसी अनुवर्ती दोषसिद्ध के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहे [4][दस हजार रुपये] तक हो सकता है :

दण्डनीय होगाः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई विशेष और पर्याप्त प्रतिकूल कारण, जो न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किया जायेगा न हो तो प्रथम अपराध के लिए जुर्माना [5][दो हजार पाँच सौ] से कम और द्वितीय अनुवर्ती अपराध के लिए [6][पाँच हजार रुपये] से कम न होगा।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के किसी उपबन्धों का धारा 9 और 10 और इसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के उपबन्धों को छोड़कर

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 4 सन् 1999 द्वारा प्रतिस्थापित। (15.08.1998 से प्रभावी।)
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 3 सन् 2016 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 3 सन् 2016 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 3 सन् 2016 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 3 सन् 2016 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 3 सन् 2016 द्वारा प्रतिस्थापित।

उल्लंघन करता है तो वह जुर्माना से जो [1][बीस हजार रुपये] तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में प्रथम बार सिद्धदोष होने के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहे [2][दो हजार रुपये] के अग्रेतर जुर्माना से दण्डनीय होगा।

(3) जब कभी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाये तब मजिस्ट्रेट किसी जुर्माना के अतिरिक्त जो आरोपित किया जाय इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के अधीन उसके द्वारा देय फीस की धनराशि या अन्य कोई धनराशि सरसरी तौर पर वसूल सकेगा और मण्डी समिति को भुगतान करेगा और स्वविवेकानुसार अभियोजन का व्यय भी सरसरी तौर से वसूल कर सकता है और मण्डी समिति को भुगतान कर सकता है।

[3][**37-क. अपराध का शमन**—(1) कोई मण्डी समिति या उसकी उपसमिति या समिति के किसी संकल्प द्वारा प्राप्त प्राधिकार से उसका सभापति किसी व्यक्ति से जिसने कोई ऐसा अपराध किया हो या जिसके सम्बन्ध में ऐसा अपराध करने का युक्ति युक्त सन्देह हो जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है, उससे प्राप्त फीस या अन्य धनराशि के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 के नियम 66 के उपनियम (1) के परन्तुक में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार समतुल्य कृषि उत्पाद पर निर्धारित देय मण्डी शुल्क एवं विकास सेस के योग के दस गुना धनराशि के बराबर अथवा रुपये दो लाख जो भी कम हो, एवं अन्य अपराध के लिए बीस हजार रुपये से अनधिक धनराशि शमन फीस के रूप में स्वीकार कर सकता है तथा अपराध का शमन कर सकता है।]

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का शमन किये जाने पर ऐसे अपराध से सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी न जारी रखी जायेगी और यदि उस अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही पहले से ही संस्थित की गई हो तो उक्त शमन के प्रभाव से, वह दोष-मुक्त हो जायेगा।

38. अपराधों पर विचार.—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध पर ऐसे न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जायेगा जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो।

(2) जब तक निदेशक सचिव या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे समिति ने तदर्थ संकल्प पारित करके प्राधिकृत किया हो, परिषद् द्वारा प्रस्तुत न किया जाये, तब तक कोई न्यायालय अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान न करेगा।

39. उपविधियाँ.—(1) मण्डी समिति, इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये निदेशों से असंगत न होते हुए निम्नलिखित की व्यवस्था के लिये उपविधियाँ बना सकती है—

(i) अपने कार्यों का विनियमन;

(ii) धारा 17 के खण्ड (7) के अधीन नियुक्त किये जाने वाली उप-समिति, यदि कोई हो, की नियुक्ति, उसके अधिकार, कर्तव्य और कृत्य;

(iii) व्यापारियों, आढ़तियों, दलालों, तोलकों और पल्लेदारों के कर्तव्यों, और

(iv) कोई अन्य विषय जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उपविधियों द्वारा की जानी आपेक्षित हो;

प्रतिबन्ध यह है कि उस समयावधि से जो निदेशक द्वारा सुझाई गई प्रारूप या प्रतिमान उपविधि को अंगीकार करके बनाई गई हो भिन्न कोई उपविधि तब तक वैध न होगी जब तक कि वह परिषद् द्वारा अनुमोदित न कर दी जायें।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में समिति ने कोई उपविधियाँ नहीं बनायी है अथवा यदि समिति द्वारा बनाई गई उपविधियाँ, परिषद् की राय में पर्याप्त नहीं है तो परिषद् उपविधियाँ बना सकता है जिसमें ऐसे विषयों की उस प्रक्रम तक व्यवस्था होगी जो वह उचित समझे।

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 3 सन् 2016 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 3 सन् 2016 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) इस धारा के अधीन उपविधियाँ बनाने की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए किया जायेगा।

[1][**39-क. क्रय और विक्रय का विवरण प्रस्तुत करना.**—प्रत्येक थोक व्यापारी या आढ़तिया प्रत्येक वर्ष तीस अप्रैल के पूर्व मण्डी समिति को पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके द्वारा या उसके माध्यम से किये गये निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय और विक्रय का विवरण ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ उपवर्णित करते हुए जैसी कि उपविधियों में निर्दिष्ट की जाये प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए 'पूर्ववर्ती वर्ष' का तात्पर्य ऐसे वित्तीय वर्ष से है जो उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती हो, ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो।']

40. नियम.– [2][(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में पूर्व प्रकाशन नियत बना सकती है।]

(2) विशेष रूप से पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है—

(i) [3][* * *]

[4][(ii) "धारा 13 के अधीन समिति के संगठन के लिए या राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्देशन द्वारा धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन परिष्कृत और नवनिर्मित मण्डी क्षेत्र के लिए और उनके परिणामिक मामलों के लिए व्यवस्था;]

[(iii) [5][* * *]

(iv) समिति की बैठकों से सम्बद्ध प्रक्रिया, जिनके अन्तर्गत गणपूर्ति भी है;

(v) यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते जो किसी समिति के सदस्यों को दिये जायें।

(vi) समिति तथा उनके सभापति, सदस्य अधिकारियों और सेवकों के कृत्यों, अधिकारों और कर्तव्यों के सम्बद्ध मामले;

(vii) लाइसेंस शुल्क और मंण्डी शुल्क जो समिति द्वारा लगाये तथा वसूल किये जा सकते हैं और उनकी वसूली की रीति;

(viii) इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्सों को जारी किये जाने और उनके नवीकरण की शर्तें;

(ix) इस अधिनियम के मतभेदों और विवादों के निपटारे के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(x) रीति, जिनके अनुसार इस अधिनियम के अधीन समिति द्वारा किये जाने वाले निर्माण-कार्य के लिये नक्शे और प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे तथा स्वीकृति या अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे;

(xi) समिति द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर तथा पुस्तिकाएँ;

(xii) प्रपत्र जिनमें समिति के लेखे रखे जायेंगे, रीति जिसके अनुसार उनकी लेखा-परीक्षा की जायेंगे और वह समय अथवा वे समय जब वे प्रकाशित किये जायेंगे;

(xiii) किसी समिति द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदनों और विवरणियों के प्रपत्र तथा उनमें उल्लिखित किये जाने वाले ब्यौरे;

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 4 सन् 1999 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 20 सन् 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 13 सन् 2004 द्वारा खण्ड (1) निकाल दिया गया।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 13 सन् 2004 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 13 सन् 2004 द्वारा निकाल दिया गया।

(xiv) समिति की अधिशेष निधियों के विनियोजन (Investment) और उनका निस्तारण करने की रीति;

[1][(xiv-क) उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि में जमा करने, उससे निकालने और उसके अनुरक्षण और उपयोग की रीति;]

(xv) मण्डी-क्षेत्र में प्रयोग किये जाने वाले बाट तथा माप और तौलने तथा मापने के यन्त्रों का निरीक्षण करने से सम्बद्ध विषय;

(xvi) व्यापारिक परिव्यय, जो प्रधान मण्डी स्थलों या उपमण्डी-स्थलों में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के किसी सौदे में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे;

(xvii) निर्दिष्ट-कृषि उत्पादन का वर्गीकरण और मान स्थापना;

(xviii) व्यापारियों द्वारा निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की मूल्य सूची रखना;

(xix) रीति, जिसके अनुसार मण्डी क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की बिक्री या उसको नीलाम किया जायेगा और बोलियाँ लगाई जायेंगी तथा उसे स्वीकार किया जायेगा;

(xx) शर्तें, जिनके अधीन समिति किसी सम्पत्ति को पट्टे पर दे सकती है या बेच सकती है या अन्य रूप से उसका हस्तान्तरण कर सकती है;

(xxi) समिति की ओर से संविदा करने के लिए प्राधिकार और उसे करने की रीति;

(xxii) समिति के अधिकारियों और सेवकों के नियोजन की शर्तें और ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों के अनुशासन, नियंत्रण, दण्ड, पदच्युति, सेवान्मुक्ति तथा हटाये जाने से सम्बद्ध विषय;

(xxiii) इस अधिनियम के अधीन अपील सुनने और उसका निस्तारण करने की प्रक्रिया;

(xxiv) दलालों, आढ़तियों या व्यापारियों द्वारा कृषकों को दी जाने वाली अग्रिम राशियों का यदि कोई हों, विनियमन;

(xxv) विवाचन और अपीलों का शुल्क;

(xxvi) व्यापारियों, आढ़तियों, दलालों और तौलकों द्वारा लोक-पुस्तिकाओं का रखा जाना उनका प्रस्तुत किया जाना तथा निरीक्षण;

(xxvii) नमूना बनाने, विक्रय, क्रय, तुलाई और सौदों को अभिलिखित करने के समय, स्थान तथा रीति और भुगतान करने का ढंग;

(xxviii) मण्डी क्षेत्र में लाये गये किसी निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन का संग्रह करने के लिए स्थान की व्यवस्था;

(xxix) वार्षिक बजट तैयार करने और अनुमोदन के लिए उसे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया;

(xxx) समितियों के कृत्य सम्पादन का निरीक्षण करने के सम्बद्ध विषय;

(xxxi) दलालों का निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन के सम्बन्ध में क्रेता और विक्रेता दोनों की ओर से सौदे में काम करने का निषेध [2][* * *]

[(xxxi-क) [3][* * *]

(xxxi-ख) धारा 23-क के अधीन केन्द्रीयकृत सेवा का संघटन;

(xxxi-ग) धारा 25-ब के अधीन अधिकार के सम्बन्ध में क्रेता और विक्रेता दोनों की ओर से सौदे में काम करने का निषेध करना।

(xxxii) कोई अन्य विषय, जो नियत किया जान हो या नियत किया जा सकता है।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 10 सन् 1991 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति के अधिनियम सं० 13, 1973 की धारा 27 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 13 सन् 2004 द्वारा निकाल दिया गया।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये गजट में प्रकाशन के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों किन्तु इस प्रकार का कोई ऐसी परिष्कार या संशोधन नियमों के अधीन पहले की गई किसी कार्यवाही की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

[1] [अनुसूची

धारा 2 (क) और 4-क]

(क) कृषि—

(1) अन्न–

1. गेहूँ
2. जौ
3. धान
4. चावल
5. ज्वार
6. बाजरा
7. मक्का
8. बेझर
9. मंडवा
10. जई
11. काकुन
12. कोदों
13. कुटकी
14. सावाँ

(2) द्वि-दलीय उत्पाद–

1. चना
2. मटर
3. अरहर
4. उरद
5. मूँग
6. मसूर
7. लोबिया (बीज)
8. सोयाबीन
9. खेसारी
10. सनई (बीज)
11. ढैंचा (बीज)
12. ग्वार
13. मोठ
14. कुलथी

(3) तिलहन–

1. सभी प्रकार की सरसों तथा लाही, (जिसमें राई, दुवा, तारामीरा और तोरिया सम्मिलित हैं)
2. सेहुँवा (बीज)
3. अलसी
4. अण्डी
5. मूँगफली
6. तिल
7. महुआ की गुठली
8. गुल्लू
9. बिनौला
10. बर्रे अथवा कुसुम (बीज)
11. [2][(नारियल)
12. सनफ्लावर सीड]

(4) रेशें–

1. जूट
2. सनई का रेशा
3. रुई (ओटी हुई और बिना ओटी)
4. पटसन
5. ढैंचा
6. रामबांस
7. मेस्टा

(5) स्वापक–

1. तम्बाकू

(6) मसाले–

1. धनिया
2. पकी मिर्च
3. मेंथी (बीज)
4. सौंठ
5. सौंफ
6. हल्दी
7. खटाई-अमचुर
8. जीरा

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 10, 1970 द्वारा बढ़ायी गयी और सदैव से बढ़ाई गई समझी जाये।
2. अधिसूचना सं० 4128/बारह-5-94-600(46)-88, दिनांक 30-1-1995 द्वारा बढ़ाया गया।

(7) **घास तथा चारा–**

1. सभी प्रकार की घास तथा चारा (हरा तथा सूखा हुआ)
2. भूसा

(8) **विविध–**

1. चौलाई (बीज)
2. पोस्ता
3. रामदाना
4. अखरोट
5. बान
6. निमकौनी
7. सेलेरी का बीज
8. अम्ब्रि बीज
9. महुआ का फूल (सूखा)
10. चिरौंजी
11. बरसीम (बीज)
12. ल्यूसर्न (बीज)
13. मखाना
14. गन्ना
15. मेस्टा (बीज)

[1][16. गुड़ लैटा

17. गुड़ रसकत
18. राब गलावट
19. राब गलावट
20. राब सलावट
21. [2][पिपर मिन्ट]
22. [3][All types of herbs and minta of menthe family their oils and solid material extracted from the oils and residue left after extraction of solid

[4][23. सभी प्रकार के फूल

(ख) उद्यान कर्म

(1) **शाक–**

1. आलू
2. प्याज
3. लहसुन
4. शकरकन्द
5. अरवी
6. अदरक (हरी)
7. कचालू
8. मिर्च
9. टमाटर
10. बन्दगोभी, फूल गोभी, गाठ
11. गाजर
12. मूली
13. बैंगन
14. टिण्डा
15. लौकी
16. हरी मटर
17. शलजम
18. परवल
19. सेम
20. साग (सब प्रकार के)
21. पान
22. चुकन्दर
23. रतालू
24. जिमी कन्द
25. सलाद
26. सोया
27. कटहल (कच्चा)
28. ककड़ी-खीरा
29. चिचिंडा
30. करैला
31. तरोई
32. पेठा
33. भिण्डी
34. कद्दू
35. ग्वार
36. इमली
37. बन्डा
38. सिंघाड़ा
39. लोबिया (हरी)

[5][40. खुंभी या कुकुरमुत्ता

(2) **फल–**

1. नींबू
2. नारंगी

1. अधिसूचना सं० 1530/XII-5-92-600(46)-88, दिनांक 4-2-1993 द्वारा बढ़ाया गया।
2. अधिसूचना सं० 4128/बारह-5-94-600(46)-88, दिनांक 30-1-1995 द्वारा बढ़ाया गया।
3. अधिसूचना सं० 941/XII-5-2003-600(46)-88, दिनांक 17-7-2003 द्वारा बढ़ाया गया।
4. अधिसूचना सं० 133/XII-5-2004-600(371)-2000, दिनांक 24-1-2004 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना सं० 4407/XII-5-5-2003-600(225)-2003, दिनांक 20-12-2003 द्वारा बढ़ाया गया।

3. मुसम्बी
4. माल्टा
5. ग्रेप फ्रुट
6. केला
7. अनार
8. स्ट्राबेरी
9. खरबूजा
10. तरबूज
11. फ्रूट
12. पपीता
13. फालसा
14. पोस्ता
15. सेब
16. अमरूद
17. बेर
18. आंवला
19. लीची
20. चीकू
21. आड़ू
22. लोकॉट
23. बेल
24. अन्नास
25. आम
26. आलू बुखारा
27. अंजीर
28. कटहल (पक्का)
29. कमरख
30. करौंदा
31. खजूर
32. खिरनी
33. खूबानी
34. जामुन
35. नाशपाती व नाख
36. शरीफा
37. शहतूत
38. चकोतरा
39. रसभरी

(ग) द्राक्षा-कृषि
1. अंगूर

(घ) मधुमक्खी पालन
1. शहद
2. मोम

(ङ) कोशकीट पालन
1. रेशम

(च) मत्स्य संवर्धन
1. मछली

(छ) पशुपालन उत्पादन
1. कुटकुट
2. अण्डा
3. पशु
4. भेड़
5. बकरी
6. मक्खन
7. घी
8. खोया
9. पनीर
10. दूध
11. चमड़ा और खाल
12. हड्डी
13. गोश्त
14. सुअर का बाल
15. ऊन

(ज) वन उत्पादन
1. गोंद
2. लकड़ी
3. तेन्दू की पत्ती
4. लाख
5. रीठा
[1][6. खेरवुड]

[2][SCHEDULE-A
1. Coconut.
2. Sunflower seed.
3. Peppermint.
4. Bittergourd.
5. Spouge gourd, and
6. Sweet potato.]

---

1. अधिसूचना सं० 707/12-5-97-600(38)-86, दिनांक 27-3-1997, द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं० 4924/XII-5-95-600 (46)-88, dt. 08.05.1996, द्वारा अन्तःस्थापित।